प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

खण्ड-1

फरवरी 2024 सत्र
के
प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

(जुलाई 2024 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

खण्ड-1

फरवरी 2024 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2024

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री अरविन्द शर्मा	--	सचिव
	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्री रमेश महाजन	--	उप सचिव
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	अवर सचिव
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री प्रवीण जैन	--	सहायक ग्रेड-2
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार फरवरी 2024 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथकत: वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 20 जून, 2024

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2024 सत्र	--	--	1-50

फरवरी, 2024

दिनांक 8 फरवरी, 2024

इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

1. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 53) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पन्ना में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी? **(ख)** यदि हाँ, तो कब तक में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जायेगा? **(ग)** यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आई.टी.आई. कॉलेज की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

2. अता.प्र.सं.4 (क्र. 56) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जिले की तहसील अजयगढ़ में कितने शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज संचालित हैं? **(ख)** क्या यह सही है कि पन्ना जिले के तहसील अजयगढ़ अन्तर्गत पूर्व में संचालित कौशल विकास केन्द्र को आवंटित जमीन का स्वामित्व आई.टी.आई. कॉलेज के पास है? **(ग)** यदि हाँ तो क्या उक्त स्थान पर अजयगढ़ क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज खोले जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** पन्ना जिले के विकासखण्ड अजयगढ़ की तहसील अजयगढ़ में कोई भी शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

3. परि.अता.प्र.सं. 19 (क्र. 169) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सैलाना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु कितने शासकीय, अशासकीय संस्थान, एन.जी.ओ., ट्रस्ट, सेक्शन-8 की कम्पनी संचालित किये जा रहे हैं? उनके नाम, पते, संचालकगणों के नाम, पते सहित सम्पूर्ण सूची देवें। **(ख)** सैलाना विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार के एवं मध्यप्रदेश शासन की कौन-कौन सी योजनाएं कौशल

विकास एवं रोजगार हेतु वर्तमान में संचालित है एवं उक्त योजनाओं को संचालित करने हेतु विगत 05 वर्षों में जो राशि विभागीय रूप से अनुदान के रूप में अथवा सहायता राशि के रूप में प्रदान की गई है, उसकी पृथक-पृथक जानकारी संस्थानवार उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों, एन.जी.ओ., ट्रस्ट, सेक्शन-8 की कम्पनियों को जो विगत 05 वर्षों में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु विभिन्न हितग्राहियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करने हेतु अनुदान राशि/सहायता राशि उपलब्ध कराई गई? पृथक-पृथक संस्थानवार, वर्षवार, उपलब्ध कराई गई राशि की जानकारी देवें एवं लाभान्वित हितग्राहियों के नाम एवं पतों सहित सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कौशल विकास एवं रोजगार हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं में हुये भ्रष्टाचार एवं फर्जी हितग्राहियों की ट्रेनिंग दर्शाकर राशि आहरण करने वाले शासकीय, अशासकीय संस्थानों, एन.जी.ओ., ट्रस्टों, सेक्शन-8 कम्पनियों की जांच करायेंगे। यदि हाँ तो कब तक? निश्चित समयावधि बतावें। यदि नहीं तो क्यों नहीं?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) कौशल विकास संचालनालय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है**। भारत सरकार अंतर्गत जनशिक्षण संस्थान, रतलाम संचालित हैं। **(ख)** विभाग से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है**। **(ग)** हितग्राहियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करने हेतु अनुदान राशि/सहायता राशि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "एक"</u>

पंचायतों को प्राप्त विकास कार्यों की राशि का उपयोग

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

4. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 213) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस कार्य के लिए किस-किस दिनांक में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक राशि, कार्य का नाम, कार्य की स्थिति सहित बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ग्राम पंचायतों ने कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की? ग्राम पंचायत, कार्य, राशि, दिनांक सहित पृथक-पृथक बतायें। **(ग)** ग्राम पंचायतों में कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं? कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कितने कार्यों का मूल्यांकन हो चुका है? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में यदि कार्य अधूरे पड़े हैं तो कार्य पूर्ण न होने का कारण व जवाबदार पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें।

पंचायत मंत्री : [(क) मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को राशि प्रदाय नहीं की जाती है। अन्य मदों की पंचायत एवं कार्यवार आवंटन की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** मनरेगा योजना से संबंधित **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। अन्य मदों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(घ)** मांग आधारित होने एवं भारत सरकार से मजदूरी एवं सामग्री में आवंटन नियमित रूप से प्राप्त न होने के कारण मनरेगा योजना के कार्य अपूर्ण हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अन्य मदों से संबंधित **जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** मनरेगा योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों को राशि प्रदाय नहीं की जाती है। अन्य मदों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(घ)** मांग आधारित योजना होने से भारत सरकार से मजदूरी एवं सामग्री में आवंटन नियमित रूप से प्राप्त न होने के कारण मनरेगा के कार्य अपूर्ण है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अन्य मदों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है।

(पृथक वितरित)

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

5. परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 228) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रचलित है? यदि हाँ, तो प्रदेश में अब तक कितने अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है? कितने अभ्यर्थियों के अनुबंध स्वीकृत किये गये हैं? कितने अभ्यर्थियों के अनुबंध अनुमोदित किये जाकर कितनों को नियुक्ति दी गई है? जिलावार, संस्थावार जानकारी देवें। **(ख)** योजना आरंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितने व किन-किन युवाओं को शासन द्वारा घोषित मानदेय का नियमित भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांकित योजना हेतु विभाग में योजना आरंभ दिनांक से कितनी राशि निर्धारित की गई थी? उक्त राशि का व्यय अब तक किन-किन मदों में कितना-कितना किया गया है?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जी हाँ। प्रदेश में अब तक 9,22,745 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है। प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित 31,642 अनुबंध में से 20,562 अनुबंध स्वीकृत एवं 19,773 अनुबंध अनुमोदित किये गए, जिसमें से 16,681 अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण हेतु ज्वाइन किया गया। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना हैं, अतः नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिलेवार एवं संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1/2 अनुसार है**। **(ख)** प्रश्नावधि में कुल ज्वाइन 16,681 अभ्यर्थियों को शासन द्वारा घोषित मानदेय दिया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नावधि में रूपये एक हजार करोड़ की राशि निर्धारित की गई हैं। राशि का व्यय व उनके मदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार हैं**।

पंचायतों में अनियमितता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. अता.प्र.सं.48 (क्र. 264) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले के जनपद पंचायत चाचौड़ा के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष

2019-20 से 20223-24 में प्रश्न दिनांक तक किन-किन पंजीकृत/अधिकृत सप्लायरों/वेण्डरों को किन-किन सामग्री आदि हेतु कितनी-कितनी शासकीय राशि भुगतान की गई? वर्षवार व जनपदवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंजीकृत सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया? क्या उपरोक्त सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा सामग्री देने के स्थान पर मात्र बिल लगाकर अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है? प्राप्त राशि में से कितनी राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा की गई? क्या प्राप्त राशि से कम राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा कर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं? इसके लिये जवाबदेह कौन है? क्या संबंधित सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन योग्यता रखते हैं? उनकी जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या शासन विभाग प्रश्नांश (क) से (ख) की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त वर्षों में सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा दी गई सामग्री एवं प्राप्त किये गये भुगतान की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराकर अनियमिततायें करने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** प्रश्नांकित जानकारी वृहद होने के कारण विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर (prd.mp.gov.in) पर पब्लिक डोमेन पर प्राप्त की जा सकती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

7. ता.प्र.सं. 21 (क्र. 265) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मार्च 2019 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे? इनमें से कितने पुरुष एवं कितनी महिलाएं थीं? महिला एवं पुरुष बेरोजगारों की पृथक-पृथक संख्या बतावें! **(ख)** जनवरी 2024 की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं? इनमें से कितने महिला एवं पुरुष हैं? पृथक-पृथक संख्या बतावें। यह वर्ष 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होने के क्या-क्या कारण रहे? **(ग)** वर्ष 2019 से जनवरी 2024 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश में कितने बेरोजगारों को सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया? पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की संख्या, वर्षवार पृथक-पृथक बतावें। **(घ)** क्या प्रदेश के रोजगार कार्यालय पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इनका क्या औचित्य है? क्या प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय किये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने की शासन की क्या योजना है?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]** **(क)** प्रश्नावधि में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर 2615314 शिक्षित एवं 66554 अशिक्षित आवेदक पंजीकृत थे। इनमें 1601979 पुरूष एवं 1079889 महिलाएं थीं। **(ख)** प्रश्नावधि में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर 3231562 शिक्षित एवं 47157 अशिक्षित आवेदक पंजीकृत हैं। इनमें 2108416 पुरूष एवं 1170297 महिलाए हैं। वर्ष 2019 की तुलना में यह 22.25 प्रतिशत अधिक हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किये गये जिनमें रोजगार पंजीयन की जानकारी चाही गई, फलस्वरूप पोर्टल पर दर्ज आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई। **(ग)** प्रश्नावधि में रोजगार कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रदेश में निजी क्षेत्र में उपलब्ध कराये गये रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	पुरूष	महिला	कुल
2019-20	3877	342	4219
2020-21	72389	8328	80717
2021-22	104827	16351	121178
2022-23	57659	10439	68098
2023-24 **(जनवरी 2024 तक)**	36388	6661	43049

(घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। बेरोजगारी भत्ता के संबंध में विभाग अंतर्गत कोई योजना नहीं है। निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये जॉब फेयर एवं केरियर काउंसिलिंग योजना, औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना संचालित की जा रही है।

रिक्त पदों पर भर्ती **(पृथक वितरित)**

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

8. अता.प्र.सं.50 (क्र. 268) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती हेतु व्यापम/म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य एजेंसियों द्वारा किस-किस पद के विरूद्ध, कितने पदों पर भर्ती हेतु कब-कब विज्ञापन जारी कर, कौन-कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं कब-कब आयोजित कराई गई? वर्ष 2018 से अब तक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस परीक्षा में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितना परीक्षा शुल्क प्राप्त हुआ? उक्त परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम कब-कब जारी किये जाकर कितने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदाय की गई? किस-किस परीक्षा के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये जा सके एवं क्यों? **(ग)** किन-किन परीक्षाओं में धांधली पाए जाने पर जाँच होने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है एवं कौन-कौन सी परीक्षाओं के परिणाम किस-किस कारण से अटके हुए हैं? परीक्षाओं में हुई धांधली की जाँच किस एजेंसी द्वारा की जा रही है? जाँच के क्या परिणाम रहे? **(घ)** समस्त परीक्षाओं के परिणाम कब तक घोषित कर नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी? नहीं तो इन परीक्षाओं में चयनित परीक्षार्थियों के असुरक्षित भविष्य के लिए कौन जवाबदेह है?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]** **(क)** प्रश्नावधि में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** एवं आयोजित परीक्षाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है**। **(ख)** मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आवेदनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**, शुल्क की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है**, अंतिम चयन परिणाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है**। साक्षात्कार के कारण घोषित नहीं किये गये परिणामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है**। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षा में आवेदनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार हैं**, शुल्क की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है**, घोषित एवं पाँच प्रक्रियाधीन परीक्षा परिणामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार है**। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। **(ग)** मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित परीक्षा ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित जांच हेतु माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को जाँच हेतु नियुक्त किया गया है। जांच उपरांत ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति संबंधी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। **(घ)** परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश के बेरोजगारों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

9. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 320) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 15-01-2024 की स्थिति में प्रदेश में बेरोजगार की कितनी संख्या पंजीकृत है? जिलेवार, बेरोजगार संख्या देवें। **(ख)** दिनांक 15-01-2023 की स्थिति में जानकारी भी प्रश्न **(क)** अनुसार देवें। प्रश्नांश (क) व (ख) समयावधि में कितने बेरोजगारों का चयन शासकीय विभागों में हुआ की जानकारी भी नाम, विभाग नाम, पदस्थापना दिनांक सहित देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) संबंधी जानकारी निजी क्षेत्र द्वारा प्रदाय रोजगार के संबंध में भी देवें।

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** प्रश्नावधि में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से शासकीय विभागों में चयन नहीं किया गया। **(ग)** प्रश्नावधि में निजी क्षेत्र में कुल 61388 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान किये गये। प्रश्नांश "ख" अनुसार जानकारी संधारित नहीं की जाती है।

परिशिष्ट - "दो"

वेतन का भुगतान

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

10. अता.प्र.सं.63 (क्र. 329) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कुल कितने पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में पोषण अनुदान से अधिकारी, कर्मचारी, व्याख्याता, सहायक व्याख्याता सहित अन्य कार्यरत है? **(ख)** उपरोक्त के अनुक्रम में क्या सभी को निश्चित समयावधि में वेतन भुगतान किया जाता है? क्या इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये शासकीय सेवक के रूप में मिलने वाली सभी सुविधायें प्रदान की जाती है? यदि हाँ तो बतायें कि 20 मार्च, 2020 से प्रश्न तक इन्हें कब-कब और क्या सुविधायें किस-किस प्रयोजन से कितनी-कितनी राशि के रूप में दी गई? महाविद्यालयवार पृथक-पृथक बतायें। **(ग)** उपरोक्त के अनुक्रम में पोषण अनुदान महाविद्यालयों अथवा विभाग को कब-कब, कितना-कितना, किस-किस प्रयोजन से दिया गया है की संपूर्ण जानकारी महाविद्यालयवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बताये। **(घ)** उपरोक्त के अनुक्रम में 20 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, किन-किन कारणों से इनके वेतन तथा अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है? **(ड.)** उपरोक्त के अनुक्रम में आंतरिक एवं बाहरी ऑडिट द्वारा कभी कोई आपत्ति व्यक्त की गई है? यदि हाँ तो उसका निराकरण हेतु विभाग ने कब और क्या प्रयास किये गये? महाविद्यालयवार पृथक-पृथक बतायें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **] (क)** प्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में पोषण अनुदान में पद स्वीकृत नहीं है, अपितु प्रदेश के 67 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में स्वशासी पदों पर कार्यरत 629 अधिकारी/व्याख्याता, 126 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं 280 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मद क्रमांक-8885 के अंतर्गत पोषण अनुदान से भुगतान किया जाता है। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विभाग को वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 30.01.2024 तक योजना क्रमांक 8885 में प्रावधान एवं व्यय की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैं :-

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	101.55	93.88
2021-22	135.00	130.85
2022-23	173.07	172.38
2023-24	130.00	127.12

योजना क्रमांक-8885 के अंतर्गत अधीनस्थ संस्थाओं को आवंटित राशि एवं व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ)** प्रश्नावधि में योजना क्रमाक-8885 स्वशासी संस्थाओं को सहायता अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीमित बजट आवंटन के कारण वेतन तथा अन्य भत्ते का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया था। **(ड.)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

11. अता.प्र.सं.64 (क्र. 330) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीखो कमाओ पोर्टल में प्रदेश के कितने बेरोजगार युवाओं को पंजीबद्ध किया गया है? जिलेवार, श्रेणीवार, शैक्षणिक योग्यतावार, विभाग, कार्यालय, तकनीकी/गैर तकनीकी, प्रशिक्षुवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। **(ख)** उपरोक्त के अनुक्रम में उक्त पोर्टल क्या निश्चित समयावधि तक के लिये संचालित था? यदि हाँ तो कब से कब तक किन-किन निर्देशों/आदेशों के अनुक्रम में सहित संपूर्ण जानकारी दस्तावेजों सहित बतायें। **(ग)** उपरोक्त के अनुक्रम में किन क्रियान्वयन एजेन्सियों, विभागों, कार्यालयों से कोई अनुबंध किया गया था? यदि हाँ तो पृथक-पृथक जानकारी दें। **(घ)** उपरोक्त के अनुक्रम में क्या बेरोजगार युवाओं को सीखने के दौरान अथवा सीखने के उपरांत वेतन/प्रशिक्षण भत्ता/प्रशिक्षु स्टाइपेंड दिया गया था? यदि हाँ तो कितनी अवधि के लिये किस दर से? पृथक-पृथक आदेशों/निर्देशों की प्रति सहित बतायें। यह भी स्पष्ट करें कि कुल कितनी राशि किन-किन कार्यों पर, किसके आदेश पर, किस-किस प्रयोजन से व्यय की गई? इसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेशों की प्रति प्राप्त आवंटन तथा व्यय की गई राशि सहित पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर जानकारी दें।

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना पोर्टल में प्रदेश के 9,23,157 युवाओं को पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत युवाओं की जिलेवार, श्रेणीवार, शैक्षणिक योग्यतावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है**। विभाग, कार्यालय, तकनीकी/गैर-तकनीकी, प्रशिक्षुवार संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के पोर्टल पर संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कार्य आदेश दिया गया है। आदेश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है**। **(घ)** जी हाँ। युवाओं की योग्यतानुसार 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को रु. 8000, आई.टी.आई. उत्तीर्ण युवाओं को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण युवाओं को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को रु. 10000 प्रतिमाह स्टायपेंड का नियमित भुगतान किया जा रहा है। कोर्स की अवधि 6 माह से 1 वर्ष तक है। आदेश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है**। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेशों एवं मदवार विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार/पाँच अनुसार है**।

भर्ती हेतु शुल्क

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

12. ता.प्र.सं. 16 (क्र. 453) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 2018 से अब तक किन-किन विभागों की कब-कब कितनी विज्ञप्ति जारी की गई और उन विज्ञप्ति में से किन-किन पदों पर भर्ती की गई? यदि भर्ती नहीं की गई या विज्ञापन निरस्त किया गया तो जो शुल्क बेरोजगार युवाओं से लिया गया, वह कब तक उन्हें वापस किया जायेगा?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [**जानकारी एकत्रित की जा रही है।]** प्रश्नावधि में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी विज्ञापनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। प्रश्नावधि में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी चयन परिणामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है** एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रपत्र-2 में उल्लेखित परीक्षाओं में से पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2020, वनरक्षक एवं जेल प्रहरी परीक्षा 2022-23 को छोड़कर शेष के परिणाम जारी किये गये है। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जाती है। मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ई-गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एवं लेखापाल के पदों हेतु भर्ती परीक्षा-2018 एवं प्री-पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा-2020 निरस्त किये जाने के कारण क्रमश: राशि रूपये 13,09,250/- एवं 10,53,000/- अभ्यर्थियों को वापिस किये गये।

(पृथक वितरित)

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

13. अता.प्र.सं.92 (क्र. 457) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर संभाग में प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत कितने अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है? विधानसभावार जानकारी देवें। **(ख)** उपरोक्त अवधि तक में से कितने अभ्यर्थियों के आवेदन अनुबंध स्वीकृत किये गये हैं? विधानसभावार जानकारी देवें। **(ग)** स्वीकृत किये गये आवेदन अनुबंध में से कितने अनुमोदित किये गये? विधानसभावार जानकारी देवें। **(घ)** अनुमोदित अनुबंध में से कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई? विधानसभावार जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** से **(घ)** प्रश्नावधि में इंदौर संभाग में कुल 82,475 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया। विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित 5218 अनुबंधों में से 2881 अनुबंध स्वीकृत एवं 2761 अनुमोदित किये गये। अनुमोदित अनुबंध में से 2176 अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण हेतु ज्वाइन किया गया। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना है, अतः नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के पोर्टल पर विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है।

कॉलेजों में गुणवत्ताविहीन शिक्षा

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

14. अता.प्र.सं.98 (क्र. 477) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्तमान में कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय

संचालित हैं? 1 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ-कहाँ, किन-किन कारणों से बंद हुए? बंद हुए महाविद्यालयों में कुल कितनी सीटें किस-किस ब्रांच की थीं? बंद होने का कारण सहित सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित महविद्यालयों में वर्तमान कुल कितनी सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? कितनी सीटें वर्तमान में भी किन-किन कारणों से रिक्त हैं? **(ग)** क्या यह सही है प्रदेश में निजी महविद्यालय का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है? इन महाविद्यालयों में मोटी फीस देने के बाद भी विद्यार्थी अन्य महाविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं? इन महविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शासन के नियमों की जांच उक्त अवधि से प्रश्न दिनांक तक कब-कब किस-किस जिम्मेदार अधिकारी ने की? उसमें क्या कमियां पाई गईं? जांच रिपोर्ट की प्रति देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) संदर्भित महविद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले तथा शासन के नियमों की अनदेखी करने वाले कितने महविद्यालयों की मान्यता उक्त अवधि में समाप्त की गई? जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है**। **]** **(क)** प्रदेश में वर्तमान में 126 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं। प्रश्नावधि में 50 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रवेश की कमी के कारण बंद हुए। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** वर्तमान में कुल 160914 सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। 26229 सीटें छात्रों की प्रवेश संख्या में कमी होने के कारण रिक्त हैं। **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं। विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को सभी मापदण्ड पूर्ण करने के उपरांत ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की जाती हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रोजगार पंजीयन की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

15. अता.प्र.सं.107 (क्र. 529) श्री राजन मण्डलोई : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2024 की स्थिति में रोजगार पंजीयन की जानकारी वर्षवार देवें। **(ख)** दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 15.01.2024 तक कितने बेरोजगारों का चयन शासकीय विभागों में तथा निजी क्षेत्रों में हुआ है? रोजगार प्राप्त संख्या शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में वर्षवार पृथक-पृथक बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त अवधि में बड़वानी जिले में कितने रोजगार मिले? किन-किन दिनांकों में आयोजित किये गये? इनमें कितने बेरोजगारों को ऑफर लेटर दिये गये एवं इसके पश्चात कितने बेरोजगारों को वास्तविक रोजगार प्रदान किया गया की जानकारी रोजगार प्राप्तकर्ता संख्या सहित वर्षवार देवें। इन रोजगार मेले पर कितनी राशि व्यय की गई है? जानकारी प्रत्येक आयोजन अनुसार पृथक-पृथक देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार आयोजित रोजगार मेलों में व्यय की गई राशि की जानकारी, इसमें भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म, व्यक्ति का नाम, फार्म का जी.एस.टी. नंबर, भुगतान राशि भुगतान पूर्ण अथवा अपूर्ण प्रति आयोजन अनुसार जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। **(ख)** शासकीय विभागों द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती नहीं की गई है। प्रश्नावधि में रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या
2020-21	80717
2021-22	121178
2022-23	66098
2023-24 **(15 जनवरी 2024 तक)**	43049

(ग) एवं **(घ)** बड़वानी जिले में आयोजित रोजगार मेलों, ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या एवं वास्तविक रोजगार प्राप्त आवेदकों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। रोजगार मेलों में व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है**।

पंचायतों में अनियमितताएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. अता.प्र.सं.110 (क्र. 534) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले के जनपद पंचायत चाचौड़ा के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 20223-24 में प्रश्न दिनांक तक किन-किन पंजीकृत/अधिकृत सप्लायरों/वेण्डरों को किन-किन सामग्री आदि हेतु कितनी-कितनी शासकीय राशि भुगतान की गई? वर्षवार व जनपदवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंजीकृत सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया? क्या उपरोक्त सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा सामग्री देने के स्थान पर मात्र बिल लगाकर अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है? प्राप्त राशि में से कितनी राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा की गई? क्या प्राप्त राशि से कम राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा कर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं? इसके लिये जवाबदेह कौन है? क्या संबंधित सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन योग्यता रखते हैं? उनकी जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या शासन विभाग प्रश्नांश (क) से (ख) की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त वर्षों में सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा दी गई सामग्री एवं प्राप्त किये गये भुगतान की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराकर अनियमितताएं करने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। प्रश्नांकित जानकारी वृहद होने के कारण विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर (prd.mp.gov.in) पर पब्लिक डोमेन पर प्राप्त की जा सकती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

17. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 549) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती चयन परीक्षा वर्ष 2022 हेतु आवेदन पत्र बुलाए गए थे? कितने पद सृजित थे? कृपया संपूर्ण विज्ञापन की छायाप्रतियां प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर यह भी बताएं कि इसमें और कौन-कौन से पद रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अन्य पदों के थे, जिनका भी विज्ञापन जारी किया गया था? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि कौन-कौन अभ्यर्थियों का किस-किस पद हेतु चयन कर उनकी पदस्थापना कहाँ-कहाँ कर दी गई है? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि इसके बाद भी जो पद रिक्त रह गए हैं, उनकी पूर्ति हेतु प्रथम प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी गई है, उनकी भी संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें। इसके बाद भी जो पद और रिक्त रह गए हैं, उनकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जावेगी, तो कब तक?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]** **(क)** जी हाँ, आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 305 पद म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से विज्ञापित थे। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है।** **(ख)** प्रशिक्षण अधिकारी के आलावा कोई भी अन्य पद इस विज्ञापन में विज्ञापित नहीं किया गया था। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ)** रिक्त रहे पदों की पूर्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची से की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>दिनांक 9 फरवरी, 2024</u>

अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया को प्रारंभ किया जाना

[विधि एवं विधायी कार्य]

18. अता.प्र.सं.2 (क्र. 77) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला छिन्दवाड़ा के परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति लगभग तीन वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुकी है परन्तु परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय भवन का निर्माण किये जाने में संबंधित ठेकेदार द्वारा बहुत अधिक विलम्ब किया जा रहा है, जिसके कारण अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे पक्षकारों को असुविधा हो रही है? क्या निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं है? ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री और बहुत सारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिसकी जांच कराकर कार्यवाही किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। क्या विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही की

जायेगी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार कब तक जांच कराकर कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा और कब तक अतिरिक्त सत्र न्यायालय को प्रारम्भ करा दिया जायेगा? **(ग)** अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया भवन बिल्डिंग निर्माण कार्य का प्राक्कलन, ड्राइंग मय दस्तावेजों सहित प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। जी नहीं। परासिया में 03 न्यायालय कक्षों वाले नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। परासिया में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु शासन के आदेश दिनांक 09.01.2017 **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है, के द्वारा रूपये 668.19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य शासन के आदेश दिनांक 25.06.2019 **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है, के द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु रूपये 841.46 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्पश्चात लोक निर्माण विभाग के द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु पुन: रूपये 1559.98 लाख के पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जो विभागीय मूल्य सूचकांक के अभाव में वर्तमान में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। उक्त निर्माण कार्य की ड्राइंग में समय-समय में परिवर्तन होना, आवंटन का अभाव होने तथा कोविड-19 की प्रथम व द्वितीय लहर के कारण निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण होना सम्भव नहीं हो सका है। संविदाकार द्वारा भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री का उपयोग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला एवं एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला में परीक्षण करने के उपरांत ही प्रयोग में लाई जाती रही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही है, निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ ही सम्पन्न किया जा रहा है, जिसकी जांच एवं कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। पुनरीक्षित स्वीकृति एवं शेष आवंटन प्राप्त होने पर 12 माह में किया जाना संभावित है। निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। **(ग)** निर्माण कार्य का प्राक्कलन, ड्राइंग मय दस्तावेजों सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है।

एन.जी.ओ. और स्वयं सहायता समूह के कार्य

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

19. अता.प्र.सं.24 (क्र. 334) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले में वर्तमान में कौन-कौन से एन.जी.ओ. किस फंड/योजना के तहत क्या-क्या काम कर रहे हैं? विगत पांच वर्षों में किन-किन एन.जी.ओ. ने क्या-क्या कार्य किए? ये एन.जी.ओ. किस राज्य में किस पते पर रजिस्टर्ड हैं? डायरेक्टर और सदस्य कौन-कौन हैं? वर्तमान एवं विगत पांच वर्षों के एन.जी.ओ. का ब्यौरा देवें। **(ख)** धार जिले में कितने एन.जी.ओ. किस पते पर किस प्रकार के कार्यों के लिए रजिस्टर्ड हैं? डायरेक्टर एवं अन्य सदस्य कौन हैं, विगत पांच वर्षों में उन्हें कितने फंड किन-किन श्रोतों से प्राप्त हुए, किन-किन कार्यों में कितनी राशि खर्च हुई? **(ग)** किस प्रकार के एन.जी.ओ. को विधानसभा क्षेत्रों में क्या-क्या काम करने के लिए क्या गाइड-लाइन्स हैं? किसकी अनुमति से विगत पांच वर्षों में यह धार जिले के किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में कार्य किए गये? **(घ)** एन.जी.ओ. के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक को कब-कब

सूचित किया गया? यदि सूचित नहीं किया गया तो क्यों? **(ड.)** धार और इंदौर जिले में कितने स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं? डायरेक्टर का नाम, पता और संस्था के कार्य का विवरण देवें। विगत पांच वर्षों में प्राप्त फंड का ब्यौरा और किए गए कार्यों का ग्राम-पंचायतवार ब्यौरा देवें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** से **(घ)** म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन समितियों का पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत समितियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण संधारित करने का अधिनियम में पृथक से प्रावधान वर्णित नहीं है एवं न ही एन.जी.ओ. परिभाषित है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार आजीविका मिशन अंतर्गत जिला धार में 15,183 एवं जिला इंदौर में 4,318 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। स्वयं सहायक समूह में डायरेक्टर नाम का कोई पद नहीं है। विगत पांच वर्षों में जिला धार के 3,199 स्वयं सहायता समूहों द्वारा 504.04 लाख रूपये एवं जिला इंदौर के 3,574 स्वयं सहायता समूहों द्वारा 510.69 लाख रूपये चक्रीय राशि (आर.एफ. फंड) प्राप्त किया गया, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

ई-ऑफिस प्रणाली और शासकीय वेबसाईटों को अद्यतन करना

[सामान्य प्रशासन]

20. अता.प्र.सं.28 (क्र. 381) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक-11-06/2020/1/9, दिनांक 06/07/2020 और पत्र क्रमांक-एफ-5-30/2020/माअप्र/1, दिनांक-26/09/2020 से जारी निर्देशों के पालन में कार्यवाही की गयी हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) हाँ, तो कटनी जिले में शासन/विभाग के निर्देशों के पालन में विभागवार की गयी कार्यवाही से अवगत कराएं और बताएं कि क्या कटनी जिले के सभी शासकीय कार्यालयों द्वारा निर्देशों का पूर्ण पालन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो शासकीय कार्यालयवार विवरण देवें। नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या ई-ऑफिस और शासकीय वेबसाईटों को अद्यतन रखने के शासन/विभाग के आदेशों/निर्देशों का समुचित पालन किया गया? यदि हाँ, तो विवरण बताएं। यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क) से **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में क्या शासनादेशों का पूर्णरूपेण पालन न होने का संज्ञान लेकर, समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कराकर ई-ऑफिस प्रणाली और शासकीय वेबसाईटों को अद्यतन किया जायेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [(क) पत्र क्रमांक-11-06/2020/1/9,दिनांक-06/07/2020 जारी नहीं किया गया, शेष प्रश्नांश की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में एन.आई.सी. के माध्यम से शासन के समस्त विभागों द्वारा शासकीय सेवकों की शासकीय ई-मेल आई.डी. बनाई गई है, शेष प्रश्नांश की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** एन.आई.सी. द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त आदेशों के आधार पर ई-ऑफिस एप्लीकेशन को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाता है। शासकीय वेबसाईटों का अद्यतन एक सतत् प्रक्रिया है। **(घ)** यह एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा

बताया जाना संभव नहीं है।] **(क)** प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र क्रमांक 11-06/2020/1/9, दिनांक 06/07/2020 विभाग द्वारा जारी होना नहीं पाया गया है। पत्र क्रमांक एफ 5-30/2020/माअप्र/1, दिनांक 26/09/2020 द्वारा समस्त विभागों को मानव अधिकार आयोग के निर्देशानुसार अधिकारियों की सही ई-मेल आई.डी. को विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अद्यतन करने के निर्देश जारी किये गये हैं। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र क्रमांक 11-06/2020/1/9, दिनांक 06/07/2020 जारी नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट प्रारम्भ किया जाना

[विधि एवं विधायी कार्य]

21. परि.अता.प्र.सं. 38 (क्र. 424) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीतामऊ ए.डी.जे. कोर्ट प्रारंभ करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत उपयुक्त एवं पूर्ण सुविधायुक्त न्यायालय भवन न्यायाधीश के निवास हेतु उपयुक्त शासकीय आवास गृह एवं न्यायालय के लिए आवश्यक अमला उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे, उक्त निर्देश के पालन में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की? **(ख)** सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट प्रारंभ करने एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बजट का प्रावधान प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं किया गया है? **(ग)** ए.डी.जे. कोर्ट भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने तथा समस्त सुविधाएं उपलब्ध होने के पश्चात भी प्रश्न दिनांक तक जनहित में ए.डी.जे. कोर्ट प्रारम्भ किया नहीं गया है? **(घ)** ए.डी.जे. कोर्ट को कब से प्रारम्भ जावेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2207/2022/21-ब(एक) भोपाल दिनांक 20.06.2022 द्वारा राशि 1,25,75,000/- चाईल्ड फ्रेण्डली कोर्ट की स्वीकृति प्रदान की गई है। चाईल्ड फ्रेण्डली ए.डी.जे. न्यायालय भवन निर्माणाधीन है एवं आवासीय भवन हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। **(ख)** सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट स्वीकृत नहीं है एवं चाईल्ड फ्रेण्डली ए.डी.जे. कोर्ट का भवन निर्माणाधीन है। **(घ)** मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायालय स्थापना नीति-2023 में तैयार की गई पॉलिसी/ गाइड-लाइन्स/स्कीम में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उपलब्धता होने पर तहसील मुख्यालय सीतामऊ, जिला मंदसौर में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

संविदा कर्मचारियों हेतु निर्मित नीति का क्रियान्वयन

[सामान्य प्रशासन]

22. ता.प्र.सं. 18 (क्र. 484) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, दूसरे सभी लाभ देने, नियमित भर्ती परीक्षा में 50 % आरक्षण देने के लिए बनाई गई नीति को विभागों द्वारा लागू नहीं किया गया है? **(ख)** क्या संविदा कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध प्रक्रिया समाप्त होने के

बावजूद 6 महीने में अनुबंध तोड़कर संविदा पर काम कर रहे अनेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है? **(ग)** क्या संविदा कर्मचारियों को अभी तक एन.पी.एस. के दायरे में लेने, बीमा, अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेच्युटी का लाभ देने पर भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है? **(घ)** क्या सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई नीति को तत्काल लागू करने के लिए कार्यवाही करेगी?

मुख्यमंत्री : [(क) जी नहीं। शासन आदेश का पालन किया जा रहा है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** शासन द्वारा जारी नीति अनुसार विभागों द्वारा कार्यवाही किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। **(घ)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (ख)** निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(पृथक वितरित)

अजयगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना
[विधि एवं विधायी कार्य]

23. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 539) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जिले के अजयगढ़ एवं धरमपुर क्षेत्र के जिला अपर न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के कितने प्रकरण जिला मुख्यालय में लंबित हैं? क्या इन प्रकरणों की पैरवी हेतु संबंधितों को धरमपुर एवं अजयगढ़ से कई कि.मी. दूर पन्ना आना पड़ता है? क्या अजयगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट निर्मित है? **(ख)** यदि हाँ तो क्या पन्ना विधानसभा की तहसील अजयगढ़ के अधिवक्ताओं एवं क्षेत्रवासियों द्वारा अजयगढ़ में लम्बे समय से कलेक्टर के माध्यम से ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने की मांग लिखित ज्ञापन/पत्र देकर की गई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में जनहित को देखते हुये क्या तहसील अजयगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट खोला जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जिला मुख्यालय पन्ना में अजयगढ़ एवं धरमपुर क्षेत्र के जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के 52 सिविल एवं 102 आपराधिक कुल 154 प्रकरण लंबित हैं। जी हाँ। जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। उक्ताशय की मांग माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक कमेटी (एच.जे.एस.) द्वारा नस्तीबद्ध की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायालय स्थापना नीति-2023 में तैयार की गई पॉलिसी/गाइड-लाइन/स्कीम में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उपलब्धता होने पर अजयगढ़, जिला पन्ना में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना पर विचार किया जा सकेगा।

सिविल कोर्ट की स्थापना
[विधि एवं विधायी कार्य]

24. परि.अता.प्र.सं. 51 (क्र. 605) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तहसील मुख्यालय बहोरीबंद जिला कटनी में व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) खोलने का प्रस्ताव पूर्व से विचाराधीन था? क्या इसे शीघ्र स्थापित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में आश्वासन भी दिया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो इस संबंध में

किसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पत्राचार की छायाप्रति देवें। **(ग)** क्या शासन प्रश्नांश "क" में उल्लेखित सिविल कोर्ट की स्थापना करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से एवं कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** तहसील मुख्यालय बहोरीबंद जिला कटनी में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का एक पद पूर्व से स्वीकृत है तथा वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित कार्यवाही के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के पत्र क्रमांक 142, दिनांक 25.01.2024 की **छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना नीति-2023 में तैयार की गई पॉलिसी/ गाइड-लाइन/स्कीम में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप उपलब्धता होने पर तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में व्यवहार न्यायालय स्थापना पर विचार किया जा सकेगा। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "तीन"</u>

संकल्प पत्र में प्रावधानित सुविधाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

25. अता.प्र.सं.64 (क्र. 641) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का संकल्प पत्र में उल्लेख है? यदि हाँ, तो कब तक सरलीकरण करने की कार्यवाही की जायेगी? **(ख)** ऊर्जा एवं अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि संविदा का लाभ एवं केन्द्र एवं प्रदेश के श्रम कानून के अधीन सुविधा प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** नियमित कर्मचारियों के समान कार्यभारित (वर्कचार्ज) कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के उपरांत 300 दिवस के अवकाश, नगदीकरण का लाभ प्रदान करने हेतु संकल्प पत्र के प्रावधान का क्रियान्वयन कब तक किया जाएगा? समय-सीमा बताएं। **(घ)** क्या उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग की तरह अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु में एक रूपता लायेंगे? संकल्प पत्र के प्रावधान का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। **(ख)** ऊर्जा विभाग की **जानकारी एकत्रित की जा रही** है। श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत सभी श्रेणियों हेतु न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी सम्मिलित है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक छः माह में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग एवं अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ एवं विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं का लाभ देने हेतु सभी विभागों को परिपत्र दिनांक 7/8/2023 जारी किया गया है। **(ग)** एवं **(घ)** कार्यवाही प्रचलन में है समय बताया जाना संभव नहीं है। **] (ख)** ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विभागांतर्गत कार्यरत विद्युत कंपनियों में बाह्य स्त्रोत सेवा प्रदाता

एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों का नियोजन किया जाता है। उक्त आउटसोर्स कार्मिक बाह्य स्त्रोत सेवा प्रदाता एजेंसियों के कर्मचारी होते हैं एवं उक्त कार्मिकों को इनकी श्रेणी यथा उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल के अनुरूप राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों पर वेतन तथा अन्य सुविधायें जैसे ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एव बोनस का भुगतान बाह्य स्त्रोत सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा किया जाता है। चूंकि बाह्य स्त्रोत कार्मिक, सबंधित सेवा प्रदाता निजी फर्म के कार्मिक होते हैं, अतः सविदा का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।

बेनामी शिकायतों पर नियम विरूद्ध कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

26. परि.अता.प्र.सं. 68 (क्र. 680) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग के विभिन्न विभागों में 1 जनवरी 2018 के पश्चात कितनी बेनाम शिकायतें किस-किस के खिलाफ विभाग को प्राप्त हुई? विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? **(ख)** क्या शासन द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी विभाग बेनाम शिकायतों की जांच कर रहे हैं और जांच के नाम पर अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं? यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत जांच की जाती है? सामान्य प्रशासन द्वारा बेनाम शिकायतों के सम्बन्ध में जारी नियमों की प्रतिलिपि देवें। **(ग)** 1 जनवरी 2020 के पश्चात नीमच, मंदसौर जिलों में विभिन्न विभागों में कुल कितनी शिकायतें किस-किस विभाग को प्राप्त हुई? इनमें कितनी शिकायत किस-किस के खिलाफ किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ की तथा कितनी शिकायतें बेनामी बिना मोबाइल नंबर की प्राप्त हुई? उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** 1 जनवरी, 2018 के पश्चात उज्जैन संभाग अंतर्गत जिला रतलाम में 96, मंदसौर में 61 तथा नीमच में 45 गुमनाम शिकायतें प्राप्त हुई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** बेनामी शिकायत होने से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-14/2007/1/9 दिनांक 25/04/2007 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-40/2014/1/9 दिनांक 20/11/14 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई। शेष उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा की जानकारी निरंक है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** 01 जनवरी 2020 के पश्चात् जिला नीमच अंतर्गत 35 तथा मंदसौर जिले में 40 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी प्रश्नांश "क" में उल्लेखित परिशिष्टि अनुसार है। बेनामी शिकायत होने से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-14/2007/1/9 दिनांक 25/04/2007 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-40/2014/1/9 दिनांक 20/11/14 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई।

पत्रों पर समय से कार्यवाही नहीं किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

27. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 842) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/19-

76/2007/1/4 दिनांक 12.11.2021 के परिपालन में विधायक को प्रदत्त अधिकार अंतर्गत जनहित में संबंधित किये गये पत्राचार एवं विभाग से प्राप्त पावती दिनांक 08.01.2024 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा दिनांक 08.01.2024 संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग रीवा, पत्र क्रमांक/86 दिनांक 08.01.2024 मु.का.अ. जि.प., क्रमांक/85 दिनांक 06.01.2024, अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर क्रमांक/69 दिनांक 04.01.2024, पुलिस अधीक्षक रीवा क्रमांक/67 दिनांक 04.01.2024, मु.का.अ. जि.प. अधीक्षण अभियंता एम.पी.ई.बी. रीवा, पत्र क्रमांक/58 एवं 52 पावती दिनांक 01.01.2024, अपर कलेक्टर रीवा, पत्र क्रमांक/51 पावती दिनांक 01.01.2024, कलेक्टर रीवा, पत्र क्रमांक/50 पावती दिनांक 01.01.2024, मु.का.अ. जि.पं. पत्र क्रमांक/49 पावती दिनांक 01.01.2024, कलेक्टर जिला रीवा, पत्र क्रमांक/48 पावती दिनांक 01.01.2024, आयुक्त, रीवा संभाग रीवा, पत्र क्रमांक/46 पावती दिनांक 08.01.2024, कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई. रीवा, पत्र क्रमांक/42 पावती दिनांक 29.12.2023, खनिज निरीक्षक रीवा, पत्र क्रमांक/40 पावती दिनांक 26.12.2023, कलेक्टर रीवा पत्र क्रमांक/26 पावती दिनांक 26.12.2023, कलेक्टर रीवा पत्र क्रमांक/24 पावती दिनांक 27.12.2023, पुलिस अधीक्षक रीवा, पत्र क्रमांक/14 एवं 15 पावती दिनांक 22.12. 2023। दिये गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की प्रति देते हुये बतायें। जिनमें की गई कृत कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त है, क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार रीवा जिले में संचालित संभागीय एवं जिला स्तरीय शासकीय कार्यालयों में दिये गये पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई। आज भी पत्र पर कार्यवाही लंबित है। इसी तरह प्रश्नांश (ख) अनुसार दिये गये पत्रों पर समय-सीमा के अंदर कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत न कराने के लिये जिम्मेदारों को पहचान कर किस तरह की कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [(क) एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा प्रश्नांकित विभिन्न कार्यालयों / विभागों को प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित परिशिष्ट में रीवा जिले के विभिन्न कार्यालयों / विभागों द्वारा माननीय सदस्य के पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई है। कृत कार्यवाही से समय समय पर अवगत कराया जाता है।

परिशिष्ट - "चार"

दिनांक 13 फरवरी, 2024

संरक्षित भूमि के निकट निर्माण कार्य

[नगरीय विकास एवं आवास]

28. परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 737) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कलेक्टर नर्मदापुरम को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र लिखकर नर्मदापुरम स्थित बड़ी पहाड़िया क्षेत्र जो कि पुरातत्व विभाग के आधीन है उससे 300 मीटर के दायरे में कतिपय बिल्डरों एवं अन्य लोगों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के संबंध में अक्टूबर एवं दिसम्बर 2023 में जानकारी दी थी। **(ख)** प्रश्नांश (क) के पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच की गयी। यदि

हाँ, तो कब एवं किसके द्वारा? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** यदि हाँ, तो जाँच में कौन से तथ्य प्रकाश में आये? प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** उक्त निर्माण कार्यों हेतु पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया गया था। यदि हाँ तो कब? **(ड.)** पुरातत्व विभाग की संरक्षित भूमि से कितनी दूरी पर निर्माण कार्य किये जा सकते हैं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ, अपर कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माह अक्टूबर, 2023 एवं दिसम्बर, 2023 में नर्मदापुरम स्थित बड़ी पहाड़िया क्षेत्र जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, के सम्बन्ध में कलेक्टर नर्मदापुरम को पत्र लिखे गये थे। **(ख)** जी हाँ, पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच हेतु कलेक्टर नर्मदापुरम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम द्वारा तहसीलदार ग्रामीण नर्मदापुरम से जाँच कराई गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** तहसीलदार ग्रामीण नर्मदापुरम द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम कुलामड़ी की सीमा में स्थित बड़ी पहाड़िया क्षेत्र खसरा नंबर 1 रकबा 8.907 हेक्ट. भूमि, अधीक्षक पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल के नाम पर दर्ज है, उससे 300 मीटर के दायरे में ग्राम कुलामड़ी अंतर्गत मेसर्स डिवाईन बिल्डर्स लक्ष्मणसिंह बैस निवासी नर्मदापुरम द्वारा कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसमें वर्तमान में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कोई भी कार्यवाही की जाना अपेक्षित नहीं है। **(घ)** अधीक्षण यंत्री पुरातत्वविद् जबलपुर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार क्षेत्रीय निर्देशक (मध्यक्षेत्र) एवं सक्षम प्राधिकारी (मध्यप्रदेश क्षेत्र) भोपाल कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.09.2022 जारी किया गया था। **(ड.)** अधीक्षण पुरातत्वविद् जबलपुर के द्वारा पत्र दिनांक 02.02.2024 में बताया गया है कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 के नियम 38 एवं प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (विधिमान्यकरण एवं संशोधन) अधिनियम 2010 के अनुसार संरक्षित स्मारक के निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी के बाद निर्माण कार्य किया जा सकता है एवं इसके साथ विनियमित क्षेत्र (101 से 300 मीटर) में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या अन्य कार्य करने हेतु क्षेत्रीय निर्देशक (मध्य क्षेत्र) एवं सक्षम प्राधिकारी (मध्यप्रदेश क्षेत्र), राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भोपाल से अनुमति प्राप्त कर निर्माण किया जा सकता है।

बिना पंजीकरण के वाहनों का संचालन

[नगरीय विकास एवं आवास]

29. अता.प्र.सं.38 (क्र. 963) श्रीमती ललिता यादव : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला छतरपुर की नगर पालिका परिषद् और नगर परिषदों में कितने वाहन बिना परिवहन विभाग में पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं? दिनांकवार, वाहन सहित पृथक-पृथक नगर पालिका परिषद् व नगर परिषदों की जानकारी दें। **(ख)** बिना पंजीकरण के संचालित वाहनों से अलग किसी प्रकार की घटना दुर्घटना घटित होती है तो इसके लिए कौन-कौन

जवाबदार होगा? **(ग)** क्या विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश है कि बिना पंजीकरण व बिना बीमा, बिना ड्राईविंग लायसेंस के वाहन का संचालन संस्थायें करा सकती है? अगर हाँ तो, आदेश की प्रति बताएं और अगर नहीं तो इसके लिए कौन-कौन जवाबदार माना जायेगा और इस प्रकार के संचालन को कब तक सही कर संचालन कराया जायेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** संबंधित निकाय के अधिकारी/कर्मचारी। **(ग)** जी नहीं। इस हेतु संबंधित निकाय के अधिकारी/कर्मचारी जवाबदार है। इस संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु परिवहन विभाग सक्षम है।

<u>परिशिष्ट - "पांच"</u>

प्रसाद योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन

[नगरीय विकास एवं आवास]

30. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 1268) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पवित्र नगरी अमरकंटक नगर पंचायत के लिए प्रसाद योजना अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि राज्य/केंद्र सरकार से प्रदान की गई? आवंटन आदेश की छायाप्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन राशि में से कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है? व्यय राशि की जानकारी देवें तथा अधोसंरचना में खर्च किया गया हो तो पृथक-पृथक निर्माण कार्य/सौंदर्यीकरण आदि के संबंध में स्वीकृत राशि, व्यय राशि, शेष राशि की जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार अधोसंरचना/सौंदर्यीकरण, अन्य कार्यों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया था? क्या तकनीकी अधिकारियों का दौरा व उनके तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य कराया गया है तथा कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का नाम, पता सहित जानकारी देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** प्रसाद योजना के अंतर्गत नगर पंचायत अमरकंटक को कोई राशि आवंटित नहीं हुई है अपितु भारत सरकार पयर्टन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के अंतर्गत कुल राशि रू. 4998.58 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्न दिनांक तक कुल राशि रू. 2482.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रदान की गई है, जिससे अमरकंटक में विभिन्न विकास कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को आवंटित राशि के आदेश की प्रति संलग्न है। **(ख)** एवं **(ग)** मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "छः"</u>

सामग्री क्रय में अनियमितता

[नगरीय विकास एवं आवास]

31. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 1328) श्री दिनेश गुर्जर : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका परिषद् अंबाह जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा 1 अगस्त 2022 से

वर्तमान दिनांक तक पशुवाहन, निजी कचरा गाड़ियां, टॉयलेट वेन, महिला एवं पुरुष पेशाबघर, हाथ कचरा गाड़ियां, स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग करने की मशीन, फिनायल कीटनाशक, जे.सी.बी आदि मशीनरी (सामग्री) कब-कब एवं कितनी मात्रा में क्रय की गई है? **(ख)** क्या उक्त सामग्री क्रय में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए और परिषद् में संकल्प पारित करते हुए क्रय किए गए हैं? यदि हाँ तो अपनाई गई नियम प्रक्रिया एवं संकल्प की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या उक्त सामग्री खरीदने में नगर पालिका अंबाह द्वारा अनुदान राशि में से भुगतान किया है, जो कि परिषद् में संकल्प पारित न होने की स्थिति में नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ तो ऐसा क्यों? यदि नहीं तो भुगतान कहाँ से किया है? क्या उक्त सामग्री सप्लायर द्वारा जो सामान (मशीनरी) नगर पालिका में प्रदाय की गई है, वह गुणवत्ता विहीन पाई गई है? यदि नहीं तो गुणवत्ता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। **(घ)** उक्त निविदा सक्षम अधिकारी द्वारा न कराई जाकर एक बाबू द्वारा कराई गई है, ऐसा क्यों? उक्त सामग्री (मशीनरी) का उपयोग नगर पालिका द्वारा कहाँ-कहाँ पर किया जा रहा है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**-ब अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। इस हेतु परिषद् एवं पी.आई.सी. से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। सामग्री सही प्रक्रिया से जेम पोर्टल पर प्रकाशित स्पेसिफिकेशन अनुसार गुणवत्तापूर्ण क्रय की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** निविदा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी की गई, जिससे नियमानुसार सामग्री क्रय की गई है। हाथ कचरा गाड़ियों का उपयोग, सफाई संरक्षकों द्वारा, पशु वाहन का उपयोग मृत पशुओं को उठाने के लिये, महिला एवं पुरुष पेशाब-घर आवश्यकतानुसार, स्काई लिफ्ट वाहन का उपयोग स्ट्रीट लाईट रिपेयरिंग में, कीटनाशकों का प्रयोग सफाई कार्य में एवं जे.सी.बी. का प्रयोग सफाई कार्य, खुदाई कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

वक्फ कमेटियों व सम्पतियों की जानकारी

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

32. अता.प्र.सं.100 (क्र. 1415) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्यमंत्री (स्वत्रंत प्रभार), पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में राज्य, शासन/विभाग अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण एवं विभिन्न अन्य कार्य किये जाने हेतु किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार की कमेटियां कार्य कर रही है? **(ख)** विभिन्न कमेटियां किन-किन वर्षों में बनाई जाकर कब से कार्यरत है एवं इनके माध्यम से किस-किस प्रकार के कार्य किये जाते है तथा इनके अधीन किन-किन स्थानों पर कितने भवन, भूमि तथा अन्य इत्यादि भी अधीनस्थ होकर शासन/विभाग की पंजी में संधारित है? सम्पूर्ण जानकारी दें। **(ग)** शासन/विभाग द्वारा बनाई गई कमेटियों एवं उनके द्वारा किये जा रहे नियम विरुद्ध असंवैधानिक कार्यों के संबंध में वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें हुई, उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार जानकारी दें। **(घ)** क्या राज्य अंतर्गत आनेवाली वक्फ सम्पतियों पर किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण के साथ ही संपत्तियों के मूल स्वामित्व में

षड़यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से संपतियों को हड़पने का कार्य किया गया? यदि हाँ तो किस प्रकार की जांच एवं कार्यवाहियां की गई? विवरण दें।

राज्यमंत्री (स्वत्रंत प्रभार), पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [(क) रतलाम जिले में विभाग के अधीनस्थ म.प्र. वक्फ बोर्ड के अंतर्गत स्वीकृत प्रबंध कमेटियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** प्रबंध कमेटियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है तथा प्रबंध कमेटियों के अधीन भवन भूमि इत्यादि की सम्पूर्ण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार, पांच, छह एवं सात अनुसार** है। **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है।

दिनांक 14 फरवरी, 2024

समर्थन मूल्य पर खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

33. परि.अता.प्र.सं. 13 (क्र. 143) श्री महेश परमार : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैठक दिनांक तक कैबिनेट की कितनी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं? कार्यवाही विवरण एवं एजेण्डे की प्रतियां देवें। **(ख)** आयोजित बैठकों में विषयांकित संकल्प को पूरा करने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंत्रि-मंडल ने क्या कार्यवाहियां की है? जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या म.प्र. में किसानों से 2700 रूपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का आदेश म.प्र. शासन द्वारा जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो प्रतियां देवें। यदि नहीं, तो, शासन कब तक किसानों के सर्वोत्तम हित में उक्त आदेश जारी करेगा? **(घ)** क्या म.प्र. सरकार ने केन्द्र सरकार के अतिरिक्त किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से किसानो को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपये दिये जाने संकल्प पत्र में की गई घोषणा के आधार पर किसानों के हित में आदेश जारी किया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो कब तक आदेश जारी किया जावेगा? **(ड.)** गेहूं व धान खरीदी एवं किसान सम्मान निधि की बढ़ी हुई राशि के लिए क्या म.प्र. सरकार ने बजट प्रावधान किया है? यदि हाँ, तो पृथक-पृथक बजट प्रावधान की प्रतियां देवें। यदि नहीं, तो बजट प्रावधान शासन द्वारा कब तक किया जावेगा, जिससे अन्नदाता किसानों को समयावधि में समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को बेच सके?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** बैठक दिनांक तक कैबिनेट में खाद्य विभाग अंतर्गत समर्थन मूल्य पर खरीदी के संबंध में कोई कैबिनेट बैठक आयोजित नहीं हुई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु MSP+125/- बोनस की राशि सहित 2400/- समर्थन मूल्य पर, धान उपार्जन के समय तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** मध्यप्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत तीन समान किश्तों में कुल राशि रूपये 6000/- वार्षिक का भुगतान पात्र

हितग्राहियों को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। आदेश की **प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान की कार्यवाही की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "सात"</u>

राज्य के रूप में (भील प्रदेश) के गठन हेतु गठित मंत्री मंडल उपसमिति की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

34. ता.प्र.सं. 10 (क्र. 174) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव द्वारा भील प्रदेश के रूप में नवीन राज्य के गठन के संबंध में दिनांक 01.01.2000 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब बैठकें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई? उसकी संपूर्ण वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** मध्यप्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार भील प्रदेश के रूप में नये राज्य के गठन के संबंध में विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं विचार कर रही है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा अपने ई-मेल आई.डी. (kamleshwar.d@mpvidhansabha.nic.in) से मुख्यमंत्री की विभागीय ई-मेल आई.डी. (cm@mp.nic.in) पर दिनांक 12.01.2024 को अपने पत्र क्र.001/व्ही.आई.पी./2024 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन को भील प्रदेश के रूप में नये राज्य गठन के प्रस्ताव हेतु पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र पर भील प्रदेश के गठन के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय भील प्रदेश को नये राज्य के रूप में गठन के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क), (ख) एवं **(घ)** नये राज्य का गठन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद द्वारा किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दूरसंचार कंपनियों द्वारा टॉवर लगाये जाने की नियमावली <u>(पृथक वितरित)</u>

[पर्यावरण]

35. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 392) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र 53 बड़ामलहरा जिला छतरपुर में दूर संचार कम्पनियों द्वारा टावर लगाये गये हैं जिनको लगाने के पूर्व दिये गये आवेदन एवं समस्त संलग्न दस्तावेज सहित शासन की नियमावली उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या टावर के लिए निर्धारित ऊंचाई सुरक्षात्मक संसाधनों तथा आवश्यक विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किये गये? यदि हाँ, तो समस्त दस्तावेज उपलध करावें। यदि नहीं, तो विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण दें। **(घ)** प्रश्नांश (क) से संबंधित समस्त टावरों की नियमितता निर्धारण तथा नियमों के पालन हेतु विभाग के द्वारा किये जाने वाले स्थल निरीक्षण की जानकारी उपलब्ध करावें।

वन मंत्री : [(क) दूरसंचार कम्पनियों द्वारा टावर लगाने संबंधी प्रावधान 'मध्यप्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2023' में निहित है, जिसकी **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ' पर है**। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जारी की गई अनुज्ञप्तियों के आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की **प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** नीति अनुसार शासकीय भूमि पर संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान है। तदानुसार आवश्यक परीक्षण उपरांत ही आवेदन का निराकरण किया जाता है। **] (ख)** जी हाँ, दूरसंचार टावर की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2023 अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षण उपरांत ही अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। दूरसंचार नीति-2023 की कंडिका-'6' अनुसार "जिला कलेक्टर जिनके अधिकार क्षेत्र में वह भूमि स्थित हो जिस पर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, इस नीति के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और अपने जिले में दूरसंचार आधारभूत ढांचे की स्थापना के लिए आवश्यक सभी अनुज्ञप्तियों और अनुमोदनों के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेंगे"। वर्तमान प्रक्रिया अनुसार दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना हेतु आवेदन towerapp.mp.gov.in पोर्टल पर प्राप्त किये जाते हैं, तथा संबंधित विभाग की अनापत्ति भी पोर्टल पर ही प्राप्त की जाती है। विधानसभा क्षेत्र 53 बड़ामलहरा जिला छतरपुर में दूरसंचार कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत **दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है।

जिम्मेदारों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

36. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 850) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक की अवधि तक में प्रति दुकान कितना खाद्यान्न पहुँचाया गया का विवरण दुकान व जनपदवार, विधानसभावार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार दुकानों हेतु प्राप्त आवंटन की स्थिति प्रतिवर्ष व माह क्या थी का विवरण दुकान व माहवार वर्षवार देवें। जिले की आवंटन की स्थिति भी बतावें। क्या दुकानों के आवंटन प्रतिमाह प्रतिवर्ष दुकानों के बदलते रहे तो क्यों? इसका कारण बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित दुकानों में प्रश्नांश (ख) अनुसार खाद्यान्न का आवंटन घटता बढ़ता रहा, हितग्राही खाद्यान्न से वंचित हुये, समय पर खाद्यान्न नहीं बांटा गया, खाद्यान्न की हेरा-फेरी एवं कालाबाजारी की गई। इन सब अनियमितताओं की जांच हेतु क्या निर्देश देंगे? माहवार बदल रहे आवंटन के सुधार बाबत् क्या निर्देश देंगे? बतावें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तारतम्य में प्रदेश में संचालित आटा मीलों की संख्या के साथ बतावें कि इन मिलों के द्वारा कितने आटा की बिक्री वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक तक की अवधि में की गई? इनके द्वारा गेहूँ की खरीदी कब-कब, किन-किन दुकानों से की गई का विवरण प्रस्तुत कर बतावें कि अनुबंध की शर्तों अनुसार गेहूँ खरीदी शासन से की गई या नहीं तो क्यों? इन मीलो गेहूँ से निर्मित आटा एवं अन्य उत्पाद पर प्रदत्त जी.एस.टी. का विवरण जिलेवार प्रस्तुत करें। **(ड.)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित दुकानों में खाद्यान्न समय पर प्रतिमाह नहीं पहुँचाया गया। कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त

होती रहीं, खाद्यान्न के आवंटन में हेरा-फेरी कर उपभोक्ताओं को वंचित किया गया एवं प्रश्नांश (घ) अनुसार संचालित आटा मिलों के द्वारा गेहूँ की खरीदी का साधन एवं मात्रा की बिक्री अनुसार नहीं पाये जाने पर परिलक्षित अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही बाबत् क्या निर्देश देंगे? समय-सीमा निर्धारित करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) रीवा जिले में वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत माहवार, दुकानवार जनपदवार, विधानसभावार आवंटित एवं प्रदाय खाद्यान्न मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत वर्षवार, माहवार, दुकानवार आवंटन एवं प्रदाय खाद्यान्न मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित 28 पात्रता श्रेणी के परिवारों में नवजात एवं नवविवाहित हितग्राहियों के जुड़ने तथा मृत्यु होने, स्थाई रूप से अन्यत्र प्रवास पर जाने आदि कारणों से हितग्राहियों को हटाने की कार्यवाही के कारण पात्र हितग्राहियों में संख्या परिवर्तनशील होने से आवंटन मात्रा में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। **(ग)** रीवा जिले में उचित मूल्य दुकान पर राशन प्राप्त करने हेतु उपस्थित पात्र परिवार को राशन का वितरण किया गया है। परिवार को पूरे माह वितरण की सुविधा के साथ-साथ शेष परिवारों को आगामी माह में आवश्यकतानुसार 15 तारीख तक खाद्यान्न वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पात्र हितग्राही की बायोमेट्रिक सत्यापन/ओ.टी.पी. के आधार पर पहचान सुनिश्चित कर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, इसके पश्चात हितग्राही को पी.ओ.एस. मशीन से जारी पावती एवं मोबाइल पर एस.एम.एस. के माध्यम से राशन वितरित मात्रा की सूचना दी जाती है। दुकानों पर राशन वितरण में गंभीर अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रतिमाह राशन आवंटन में अंतर का कारण प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार है, जिसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **(घ)** प्रदेश में कुल 164 आटा मिल संचालित हैं। प्रदेश में विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजनांतर्गत भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन किया जाता है। उपार्जित खाद्यान्न मात्रा में से प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण पश्चात सरप्लस मात्रा को भारतीय खाद्य निगम को परिदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा उपार्जित मात्रा को खुले बाजार या मिलों को विक्रय नहीं किया जाता है। आटा मिलों द्वारा विक्रय आटा एवं गेहूं खरीदी की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। आटा मिलों द्वारा जी.एस.टी. अंतर्गत विवरण पत्रक ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाते हैं तथा आटा मिलों द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों में पृथक से आटा एवं अन्य उत्पादों की बिक्री के संबंध में पृथक-पृथक विवरण नहीं दिया जाता है। आटा मिलों द्वारा गेहूं से निर्मित आटा एवं अन्य उत्पाद पर प्रदत्त जी.एस.टी. की वस्तुवार जानकारी व्यवसायी द्वारा विवरण पत्रक में पृथक से नहीं दर्शाई जाती है, इस कारण जानकारी उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। **(ड.)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित दुकानों में खाद्यान्न समय पर प्रतिमाह नहीं पहुँचाए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त होने पर 34 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्नांश (घ) अनुसार है।

दिनांक 15 फरवरी, 2024

स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

37. परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 338) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला पंचायत रीवा द्वारा वर्ष 2021 से 2023 के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने कार्य के कार्यादेश/ए.एस. जारी किये जा चुके है एवं कितने कार्य लंबित हैं, तो क्यों? विवरण वर्षवार, कार्यवार, स्वीकृत राशि एवं कार्यादेश की प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिला पंचायत द्वारा बसामन मामा घाट पर एनीकट निर्माण एवं ग्राम पंचायत जो उन्हें कौवाधान मार्ग के निर्माण बाबत् तकनीकी स्वीकृति उपरांत क्रमश: (3 करोड़ 93 लाख) एवं (1 करोड़ 47 लाख) राशि स्वीकृत कर निर्माण एजेन्सी भी विभाग तय कर दिया गया था। उन निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी के साथ भौतिक स्थिति क्या है? **(ग)** यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्वीकृत कार्यादेश जारी नहीं किये गये, कार्य नहीं कराये गये जबकि राशि की उपलब्धता थी। जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही विवरण भी जारी कर दी गई थी। इस अनियमितता के लिये कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदारी हैं? उनके पद, नाम का विवरण देते हुये बतावें कि उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने बाबत् क्या अविलंब कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जिला पंचायत रीवा द्वारा वर्ष 2021 से 2023 के दौरान 1470 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, स्वीकृति हेतु कोई भी कार्यादेश लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिला पंचायत रीवा द्वारा आदेश क्रमांक 1599 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत बसामन मामा घाट पर एनीकट निर्माण का कार्य कराये जाने हेतु राशि रूपये 371.94 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 15.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि स्टॉप डेम (एनीकट) निर्माण हेतु स्थल उपयुक्त नहीं है। अत: स्टॉप डेम (एनीकट) का निर्माण विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। कौआढान से जौनही पहुंच मार्ग लंबाई 1.90 किलोमीटर पी.सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु जिला पंचायत रीवा के आदेश क्रमांक 4966 दिनांक 27.09.2021 के द्वारा राशि रूपये 146.07 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 रीवा के अनुसार उपरोक्त कार्य में दो बार निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की गई। बिलो टेंडर होने से अनुबंध नहीं किया गया। जिला पंचायत रीवा की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 12.09.2022 के अन्य बिन्दु क्रमांक 7 में प्रस्ताव पारित कर उक्त निर्माण कार्य की राशि वापिस हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्वीकृत कार्यादेश जारी किये गये थे। उनमें से दो निर्माण कार्यो का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा नहीं कराया गया। बसामन मामा एनीकट के कार्य हेतु स्थल उपयुक्त न होने के कारण राशि जिला पंचायत रीवा को वापस की गई। उक्त के संबंध में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-1 रीवा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

कौआढाना से जौनही पहुंच मार्ग निर्माण कार्य को जिला पंचायत रीवा की सामान्य सभा के पारित प्रस्ताव दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से राशि वापिस करने का निर्णय लिया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मजदूरों का पलायन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. ता.प्र.सं. 23 (क्र. 451) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या झाबुआ सहित प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों से कितने आदिवासी मजदूर दूसरे प्रदेश में मजदूरी के लिए गए? **(ख)** क्या आदिवासी मजदूर जो पलायन करते हैं, उनकी समस्या के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी शिकायतें उक्त नंबर पर प्राप्त हुईं? उनका क्या निराकरण सरकार के द्वारा कराया गया? यदि नहीं, तो कब तक इस तरह की व्यवस्था होगी?

पंचायत मंत्री : [(क) एवं **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"अ" अनुसार है। (ख)** जी नहीं, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** म.प्र. राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग की द्वितीय बैठक दिनांक 15.03.2023 के कार्यवाही विवरण एजेण्डा बिन्दु-2 के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(पृथक वितरित)

रिक्त पदों पर तदर्थ पदोन्नति एवं वरिष्ठ पद का प्रभार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

39. अता.प्र.सं.34 (क्र. 1235) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पंचायती राज संचालनालय के अंतर्गत प्रत्येक जिले में स्वीकृत जिला पंचायत राज अधिकारी खण्ड स्तर पर पदस्थ खण्ड पंचायत अधिकारी के कुल स्वीकृत पद एवं उनके विरूद्ध वास्तविक पद से कार्यरत अधिकारी की संख्या, नाम सहित जानकारी दें। **(ख)** क्या विभाग शासन के निर्देशों के अनुसार अन्य विभाग जैसे गृह, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगरीय प्रशासन के अनुरूप रिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड पंचायत अधिकारियों को पदोन्नति की प्रक्रिया रूके होने के कारण वरिष्ठ पद पर पात्रतानुसार, पदोन्नति भर्ती नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यरत खण्ड पंचायत अधिकारियों को जिला पंचायत राज अधिकारी एवं पंचायत समन्वय अधिकारियों को खण्ड पंचायत अधिकारी के पद का प्रभार देने की कार्यवाही करेगा? **(ग)** यदि हाँ, तो कब तक तथा विभाग के उक्त स्वीकृत पदों पर यदि अन्य विभाग के कर्मचारी को प्रभार दिया गया है तो उन्हें कब तक हटाया जायेगा?

पंचायत मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। **(ग) जानकारी समस्त जिलों से संकलित की जा रही है।] (ग)** उच्च पद पर प्रभार देने की कार्यवाही प्रचलन में है। किसी भी अन्य विभाग के कर्मचारी को प्रभार नहीं दिया गया है। अत: उन्हें हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

सड़क विहीन ग्रामों को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

40. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 1356) श्रीमती रीती पाठक : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी में नवीन कच्ची एवं WBM कितनी सड़कें हैं जिन्हें प्रधानमंत्री सड़क से जोड़े जाने की योजना है तथा कब तक में जोड़ दी जावेंगी? **(ख)** सीधी नगर में बनने वाले रेल्वे स्टेशन के उत्तरी क्षेत्र में नए बाईपास निर्माण का कितना कार्य पूर्ण किया किया जा चुका है तथा कितना शेष है? बजट की क्या स्थिति है? कब-कब, कितनी-कितनी राशि जारी की गई है? **(ग)** क्या उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला प्रयागराज सीधी जनकपुर मार्ग (कटरा, मऊगंज, कमर्जी, पटपरा, सीधी बाईपास, गांधी ग्राम-टिकरी, मड़वास-जोगीपहरी से छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक स्टेट हाईवे स्वीकृत है? यदि हाँ, तो इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस फोर-लेन मार्ग कब तक में बनाया जावेगा? **(घ)** सीधी जिले में स्वीकृत सेमरिया बाइपास व सीधी रीवा को जोड़ने वाले रामपुर गड्डी मार्ग की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ड.)** वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीधी जिले के लिए क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है?

पंचायत मंत्री : [(क) सीधी विधान सभा क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह की बसाहटों को जोड़ने हेतु पी.एम. जनमन योजना अंतर्गत आज तक पी.एम. गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित कुल 21 कच्चे मार्ग पाये गये है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है**, जिनमें से प्रथम चरण में 04 मार्गों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है**। प्रथम चरण के मार्गों को वर्ष 2024-25 तक जोड़े जाने की योजना में शामिल किया गया है। शेष 17 मार्गों को अगले चरणों में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जायेगा। WBM सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं है। **(ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.)** वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कार्य योजना उत्तरांश "क" अनुसार है। **]** **(ख)** लोक निर्माण विभाग सीधी संभाग सीधी (म.प्र.) द्वारा अवगत कराया गया है कि सीधी नगर में बनने वाले रेल्वे स्टेशन के उत्तरी क्षेत्र में नवीन बाईपास की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश "ग" अंतर्गत लोक निर्माण विभाग सीधी संभाग सीधी (म.प्र.) द्वारा निर्मित मार्ग जिला मुख्यालय मऊगंज से सीधी जिला मुख्यालय तक लगभग लंबाई 37.00 कि.मी. है, जो नवीन राज्य मार्ग क्रमांक-17 है। सीधी से जोगीपहरी व्हाया गाँधीग्राम, टिकरी मार्ग की लगभग लंबाई 53.00 कि.मी. है, जो मुख्य जिला मार्ग है तथा जोगीपहरी से जनकपुर मार्ग की लगभग लंबाई 37.00 कि.मी. है, जो नवीन राज्य मार्ग क्रमांक-18 है। कुल तीनों भाग की लगभग लंबाई 127.00 कि.मी. है। फोरलेन में मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने की समय-सीमा वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** लोक निर्माण विभाग सीधी संभाग सीधी (म.प्र.) के अंतर्गत सीधी जिले में स्वीकृत सेमरिया बाईपास मार्ग लंबाई 4.56 कि.मी. है, जिसके निविदा दर के अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है एवं लोक निर्माण विभाग सीधी संभाग सीधी (म.प्र.) द्वारा निर्मित रामपुर नैकिन से गड्डी मार्ग लंबाई 18.83 कि.मी. है, जो प्रगति पर है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" अनुसार है।**

इंदौर नगर निगम क्षेत्र से लगी ग्राम पंचायतों में आश्रय शुल्क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

41. ता.प्र.सं. 22 (क्र. 1539) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इंदौर नगर निगम क्षेत्र से लगी हुई ग्राम पंचायतों में आश्रय शुल्क अनुविभागीय अधिकारियों के आदेशों द्वारा डुडा इंदौर में जमा है? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतवार वसूल की गई राशि का विवरण दिया जाये? **(ख)** क्या ग्राम पंचायत के अधीन क्षेत्रों से प्रश्नांश (क) से संबंधित आश्रय शुल्क की राशि वसूल किए जाने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो नियम/आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो किस आधार पर आश्रय शुल्क वसूला गया? **(ग)** पंचायत क्षेत्रों में अवैध रूप से वसूल किये गये आश्रय शुल्क के बारे में अनियमितता की जांच की गई अथवा की जा रही है? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें। जिन अधिकारियों के आदेशों से यह कृत्य किये गये उनके नाम, पदनाम, पोस्टिंग अवधि सहित बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो इसका कारण बतावें। **(घ)** डुडा इंदौर में जमा ग्राम पंचायतों की राशि क्या शासकीय कोष में जमा की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो इसका कारण दें।

पंचायत मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) जी हाँ। जिला इंदौर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग इंदौर. महू. सांवेर. देपालपुर. हातोद के आदेश अनुसार इंदौर नगर निगम क्षेत्र से लगी हुई ग्राम पंचायतों से दिनांक 05.10.2004 से 20.04.2010 तक की अवधि में आश्रय शुल्क की राशि रू. 64.90 करोड़ (चौसठ करोड़ नब्बे लाख रूपये मात्र) जिला शहरी विकास अभिकरण के खाते में जमा कराई गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। अपर कलेक्टर इंदौर कॉलोनी सेल के आदेश से दिनांक 11.052015 से दिनांक 17.01.2022 तक आश्रय शुल्क की राशि रूपे 39.00 करोड़ जिला पंचायत इंदौर के खाते में जमा कराई गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। **(ग)** नगर निगम क्षेत्र से लगे निवेश में पंचायतों से नियमानुसार आश्रय शुल्क की राशि जमा कराई गई है। **(घ)** शहरी विकास अभिकरण (डूडा) इंदौर में जमा कराई गई आश्रय शुल्क की राशि 64.90 करोड़ (चौसठ करोड़ नब्बे लाख रूपये मात्र) डूडा द्वारा आश्रय शुल्क से प्राप्त राशि "म.प्र. नगर निगम 1998 की धारा 10(7) में गठित समिति की अनुशंसा पर नियम 10(8) में दिये गये प्रावधान अनुसार बिना ब्याज के ऋण के रूप में स्थानीय निकाय/म.प्र./गृह निमाण मण्डल/म.प्र./गंदी बस्ती निर्मूलन मण्डल/विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जा सकेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये भवन निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु उक्त रकम का उपयोग मार्जिन मनी के रूप में किया जो सकेगा। यह रकम पुरानी झुग्गी बस्ती क्षेत्र में बुनियादी सेवाएं जैसे - मलवहन, पेयजल, सार्वजनिक शौचालयों आदि की व्यवस्था करने पर उपयोग में लाई जा सकेगी। उक्त प्रावधानों के तहत राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु अंतरित की जा चुकी है। वर्तमान में जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) जिला इंदौर के खाते में आश्रय निधि की राशि शेष नहीं है।

(पृथक वितरित)

अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं के अधिकार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

42. ता.प्र.सं. 5 (क्र. 1556) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से रेत खदान बाबत् म.प्र. रेत नियम 2019 एवं म.प्र. पेसा नियम 2022 में किये गये प्रावधानों के बाद भी विधिवत अनुमति एवं सहमति प्राप्त किए बिना वर्ष 2023 में नीलाम कर दी गई रेत खदानों के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? **(ख)** वर्ष 2023 में किस अनुसूचित विकासखंड की कितनी रेत खदानों की कितनी मात्रा को कितना मूल्य निर्धारित कर नीलामी पर रखा जाकर किस मूल्य में किसे नीलाम कर किस दिनांक को अनुबंध किया? **(ग)** वर्ष 2023 में नीलामी पर रखी किस रेत खदान के निर्धारण एवं नीलामी के संबंध में किस ग्रामसभा ने किस दिनांक को कितने सदस्यों की उपस्थिति में क्या-क्या प्रस्ताव लिया, किस ग्रामसभा से वर्ष 2023 में प्रस्ताव नहीं लिया गया। **(घ)** ग्रामसभा के प्रस्ताव बिना ही नीलाम की गई खदान के संबंध में पंचायत विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है, कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री : [पंचायत मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटैल) : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जी हाँ, इस संबंध में संबंधित जिलों के कलेक्टरों से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग)** जिला छिंदवाड़ा एवं बुरहानपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। शेष के संबंध में उत्तरांश "क" अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। **(घ)** उत्तरांश (क) अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(पृथक वितरित)

व्यय राशि की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

43. अता.प्र.सं.68 (क्र. 1672) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल संभाग में कितने शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं विभाग द्वारा अन्य कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित हैं? जिलावार, संभागवार, संस्था के नाम, सहित जानकारी बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक उपरोक्त संस्थानों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? संस्थावार, विकासखण्डवार, जिलावार तथा किस-किस मद तथा योजनाओं से कितनी-कितनी राशि प्रदेश से विभाग द्वारा जारी की गई एवं उक्त संस्थाओं द्वारा किन-किन मदों और योजनाओं में राशि व्यय की गई? उक्त निर्माण कार्यों की वर्तमान में अद्यतन स्थिति क्या है? कौन-कौन सी मदों में कौन-कौन सी संस्थाओं में प्रदत्त राशि का संपूर्ण व्यय हो गया है अथवा कितना शेष है? कितनी राशि लेप्स हो गई है? संस्थावार, जिलावार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में शासकीय पालिटेक्निक सिरोंज एवं लटेरी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरोंज एवं लटेरी में कौन-कौन सी ब्रांच (शाखा) एवं ट्रेड संचालित है? कुल कितनी कक्षाएं संचालित हैं तथा

कितने-कितने छात्र-छात्राएं हैं? कक्षावार सूची उपलब्ध करावें एवं 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस ट्रेड एवं ब्रांच में कितने-कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया? उनमें से कितने उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण हुये? संपूर्ण सूची उपलब्ध करावें। कुल उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों पर कितना व्यय हुआ? प्रति उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की कक्षावार छात्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस मद से उक्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा विभाग द्वारा अन्य संचालित संस्थानों में किस-किस मद से राशि प्राप्त हुई एवं किस-किस मद में व्यय की गई? कुल व्यय कितना हुआ? बतावें कितनी राशि शेष है? कितनी राशि लेप्स हुई है? संस्थावार जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। यदि पूर्णतः राशि का व्यय नहीं किया गया तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? उत्तरदायी दोषी अधिकारियों की संस्थावार, जिलावार, संभागवार और प्रदेश स्तर की जानकारी उपलब्ध करावें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है**। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है**। **(ख)** प्रश्नावधि से संबंधित शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं की भवन निर्माण संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है** एवं मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है**। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पॉच अनुसार है**। **(ग)** प्रश्नावधि से संबंधित शासकीय पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, सिरोंज एवं लटेरी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-छः अनुसार है,** शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं सिरोंज एवं लटेरी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-सात अनुसार है**। **(घ)** प्रश्नावधि से संबंधित शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है**। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-आठ अनुसार है**। सामग्री समय पर प्राप्त नहीं होने, देयक समय पर प्राप्त नहीं होने व राशि का आहरण विलंबित होने के कारण राशि का व्यय नहीं हो पाया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

44. ता.प्र.सं. 24 (क्र. 1685) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक प्रदेश के कितने नौजवान बेरोजगार हैं? जिलेवार सूची देवें। **(ख)** उपरोक्त जिले में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? **(ग)** क्या सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उसका क्या विवरण है। **(घ)** मार्च 2022 से प्रश्न दिनांक तक धार जिले में रोजगार मेला के माध्यम से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है? सभी के नाम कंपनी नाम सहित जानकारी

प्रदाय करें। **(ड.)** स्व-रोजगार एवं कुटीर, लघु, मध्यम सूक्ष्म आदि उद्योग स्थापना हेतु कितने प्रकरण स्वीकृत होकर बैंकों द्वारा ऋण प्रदाय कर उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं? सभी के नाम पता सहित जानकारी प्रदाय करें।

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में एम.पी.रोज़गार पोर्टल पर 33,13,463 आवेदक पंजीकृत हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख)** प्रश्नावधि में प्रदेश में 58,050 आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। **(ग)** बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये जॉब फेयर योजना संचालित है। योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदाय किये जाते हैं। औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना संचालित की जा रही है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ड.)** वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्न दिनांक तक उद्यम क्रांति योजनांतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित ऋण प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।** वर्तमान में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत बैंकों के माध्यम से उद्योग स्थापना के संबंध में योजना संचालित नहीं है।

पर्यावरण सखी को स्कूटी प्रदान की जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

45. अता.प्र.सं.71 (क्र. 1688) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा आजीविका मिशन के माध्यम से किस अभिप्राय से किस नियम से स्वयं सहायता समूह की अशासकीय सदस्यों को पर्यावरण सखी बनाकर कितनी स्कूटी, कुल कितनी राशि की प्रदान की गई? स्कूटी किसको दी जाए, इसका चयन किस तरह किया गया? उनका नाम, पता, गांव का नाम, उम्र, शिक्षा सहित सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार स्कूटी पाने वाली अशासकीय महिला के क्या मापदंड थे? उन्हें प्रशिक्षण किस दिनांक से किस दिनांक तक किस शहर में किस संस्था द्वारा करवाया गया तथा संस्था को इस हेतु कितना भुगतान किया गया? स्कूटी की खरीदी तथा प्रशिक्षण का भुगतान किस वित्तीय मद से किया गया? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार जिन्हें स्कूटी दी गई उनके कार्य आवंटन तथा उनकी मानिटरिंग कौन करेगा तथा पेट्रोल रख-रखाव एवं दैनिक भत्ता किस दर से कौन वहन करेगा? इस मद में अभी तक हुए कुल खर्च की 15 जनवरी, 2024 अनुसार माहवार जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) में खरीदी गई स्कूटी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है तथा आचार संहिता लगने पर उनके स्कूटियों का कहां-कहां वापस लिया गया इस संदर्भ में समस्त पत्राचार एवं निर्देश की प्रति देवें। **(ड.)** 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में सारी स्कूटी किस-किस के पास है, उनकी नाम, पता, गांव सहित सूची देवें।

पंचायत मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के पैरा क्रमांक 1 अनुसार है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 की कण्डिका**

क्रमांक 4 अनुसार है एवं शेष प्रश्नांश की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 की कण्डिका क्रमांक 4 अनुसार** है। प्रश्नांश संबंधी **जानकारी संकलित की जा रही है।** शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 की कण्डिका क्रमांक 3, 6 एवं 16 अनुसार तथा परिशिष्ट-4 की कण्डिका क्रमांक 9 अनुसार** है। शेष प्रश्नांश संबंधी **जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के पैरा क्रमांक 1 अनुसार** है। प्रश्नांश संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार** है। प्रश्नांश संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 की कण्डिका क्रमांक 4 अनुसार** है एवं शेष प्रश्नांश संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 की कण्डिका क्रमांक 4 अनुसार** है। प्रश्नांश संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 4 अनुसार** है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 5 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 की कण्डिका क्रमांक 3, 6 एवं 16 अनुसार** तथा **परिशिष्ट 6 की कण्डिका क्रमांक 9 अनुसार** है। प्रश्नांश संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 7 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 8 अनुसार** है। प्रश्नांश संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 9 अनुसार** है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 10 अनुसार** है।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

46. अता.प्र.सं.74 (क्र. 1702) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कड़ाई, मकला, लोटिया जूनार्दा में जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य, किस मद से कितनी-कितनी राशि के, किस योजना के अंतर्गत किये गए है? **(ख)** उक्त निर्माण कार्यों का निरीक्षण कब-कब, किस अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है? प्रतिवेदन देवें। **(ग)** उक्त समय अवधि में कौन-कौन सी सामग्रियां, कब-कब, किस सप्लायर से किस प्रक्रिया के तहत क्रय की गयी है सामग्री सप्लायर द्वारा बिल में उल्लेखित जीएसटी का भुगतान किया या नहीं। जीएसटी का भुगतान किया गया है या नहीं, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है? क्या जीएसटी विभाग द्वारा इस संबंध में जांच की गई है? नहीं तो क्यों? **(घ)** ग्राम पंचायत कढ़ाई में शासकीय भूमि को किस योजना अंतर्गत लीज/आवंटित की गई है क्या इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हाँ, तो विज्ञप्ति की प्रति देवें।

पंचायत मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। शेष **जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)** ग्राम पंचायत कढ़ाई द्वारा प्रश्नांकित अवधि में शासकीय भूमि का आवंटन या लीज जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। जी.एस.टी. से संबंधित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्योपुर को प्रदाय राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

47. अता.प्र.सं.81 (क्र. 1731) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा मनरेगा, 15वां वित्त, 16वां वित्त एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2020-21, 2021-22 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नांकित दिनांक तक श्योपुर जिले की कराहल एवं विजयपुर जनपद की ग्राम पंचायतों में किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है? कृपया योजनावार, वर्षवार, कार्य की लागत राशि सहित ग्राम पंचायतवार, जनपद पंचायतवार बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं कौन-कौन से कार्य किस कारण से अप्रारम्भ हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार अभी तक कार्यों पर व्यय राशि की स्थिति एवं वर्तमान भौतिक स्थिति कार्यवार बताते हुए अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? कितनी-कितनी राशि किन-किन ग्राम पंचायतों में किस-किस योजना की शेष है? शेष राशि से क्या-क्या कार्य कराया जाना प्रस्तावित है?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** से **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

पंचायतों में अनियमितताओं की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

48. अता.प्र.सं.96 (क्र. 1839) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनपद पंचायत चाचौड़ा की पंचायत में जो करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी कोई जांच हुई है यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या जनपद पंचायत चाचौड़ा की ग्राम पंचायत भैंसुआ, लहरचा, बापचालहरिया, अरन्या, महेशपुरा, चीतोडा एवं गेहूंखेड़ी के खेत-तालाब कूप निर्माण आदि में जो राशि का आहरण हुआ है वह केवल कागजों तक सीमित है? यदि नहीं तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। **(ग)** क्या वर्ष 2019 से 2022 तक जो कोविड काल में खेत तालाब की राशि मूल हितग्राहियों के खाते में ही डाली गई है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करवाएं। **(घ)** वर्ष 2019 से 2022 तक जो कोविड काल में सचिव एवं रोजगार सहायक व सरपंच ने हितग्राहियों के पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में डालकर आहरण किया गया इस संदर्भ में कोई जांच होगी? यदि हाँ, तो कब तक? **(ड.)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पंचायतों में जो संपूर्ण निर्माण कार्य हुए है वह यदि सिर्फ कागजों में हुए है तो क्या निर्माण कार्य में बताई गई राशि वसूली जावेगी? **(च)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पंचायतों में मनरेगा योजना 14वां एवं 15वां वित्त जनपद नीति जो कि सार्वजनिक हित मूलक योजनाएं हैं जो की धरातल पर बिल्कुल नहीं है क्या इनकी जांच की गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या दोषियों के खिलाफ FIR होगी?

पंचायत मंत्री : [(क) जांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। **(ख)** जनपद पंचायत चाचौड़ा की ग्राम पंचायत भैंसुआ, लहरचा, बापचालहरिया, अरन्या, महेशपुरा, चीतोडा एवं गेंहूखेड़ी में खेत-तालाब/कूप निर्माण आदि में राशि आहरण की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)** मनरेगा

योजना अंतर्गत खेत तालाब के भुगतान संबंधी प्रावधानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ, जांच आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार** है। **(ड.)** प्रश्नांश 'ग' **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** मनरेगा से विस्तृत जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है। **(च) जानकारी संकलित की जा रही है।] (ख)** जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। **(च)** जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।

स्व-सहायता समूहों के संचालन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

49. अता.प्र.सं.97 (क्र. 1858) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक प्रदेश में कितने स्व-सहायता समूह बनाए गए, इन स्व-सहायता समूह बनाने के क्या दिशा निर्देश है व समूह में जुड़ी महिलाओं के लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है तथा स्व-सहायता समूहों के क्या-क्या दायित्व है? **(ख)** किन समूह को निष्क्रिय स्व-सहायता समूह की श्रेणी में माना जाता है व वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक प्रदेश में कितने स्व-सहायता समूह निष्क्रिय पाए गए है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। **(ग)** वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक प्रदेश में कितने स्व-सहायता समूह द्वारा 3 माह से बैठक नहीं की जा रही जिलेवार इन समूहों के नाम व गांव की जानकारी प्रदान करें क्या कारण से समूहों ने बैठक बंद कर रखी? **(घ)** स्व-सहायता समूहो, ग्राम संगठनों के द्वारा कितने प्रकार के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड संधारित किये जाते है? नाम बताने का कष्ट करें तथा वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक प्रदेश में कितने स्व-सहायतों समूहों द्वारा विगत 3 माह से बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं लिखे जा रहे हैं जिलेवार इन समूहों के नाम, गांव विकासखंड व जिले का नाम प्रदान करें? क्या कारण से समूहों के द्वारा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं लिखे जा रहें? **(ड.)** स्व-सहायता समूहों ग्राम संगठनों की देखरेख के संबंध में सहायक विकासखंड प्रबंधको के क्या-क्या कार्य दायित्व है?

पंचायत मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2** दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मास्टर सर्कूलर भाग-1: मिशन क्रियान्वयन मार्गदर्शिका की कंण्डिका 2.2 अनुसार एवं कंण्डिका 3.5 अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अंतर्गत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2** के खण्ड 3 में स्व-सहायता समूह के पंच सूत्र अनुसार संचालन के सिद्धांत उल्लेखित है। **जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)** प्रश्नांश ''क'' अंतर्गत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 की कंण्डिका 3.7.1 एवं 4.7.1 अनुसार** है। **जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3** (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु तैयार आदर्श मानव संसाधन मैन्यूल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पृष्ठ क्र. 24 पर कंण्डिका C-i एवं C-ii अनुसार है। **] (ख)** प्रश्नांश ''क'' अंतर्गत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के खण्ड 3** में स्व-सहायता समूह के पंच सूत्र अनुसार संचालन के सिद्धांत उल्लेखित है। प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार**

है। **(घ)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 की कंण्डिका 3.7.1 एवं 4.7.1 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार** है।

पोषण आहार तैयार करने वाले संयंत्रों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

50. अता.प्र.सं.98 (क्र. 1859) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सात जिलों में आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों के परीसंघों द्वारा संचालित पोषण आहार संयंत्रों द्वारा विगत 3 वर्षों में कितने माह पोषण आहार की आपूर्ति कराई गई माहवार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** क्या पोषण आहार संयंत्रों का घाटा 100 करोड़ से अधिक है यह घाटा कैसे हुआ इस सम्बन्ध में जाँच कराई जावेगी क्या यह घाटा महिला स्व सहायता समूहों के परीसंघों द्वारा वहन किया जावेगा यदि हाँ, तो संयंत्रवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** घाटे में चल रहे पोषण आहार संयंत्रों के सम्बन्ध में शासन को क्या-क्या जानकारी आजीविका मिशन द्वारा प्रदान की गई है, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अभी तक क्या-क्या कदम उठाए गए? **(घ)** क्या सरकार द्वारा घाटे में चल रहे पोषण आहार संयंत्रों को किसी अन्य संस्थान को हस्तांतरित किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूरी की जावेगी?

पंचायत मंत्री : [(क) एवं **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)** अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 का कार्यवाही विवरण (बिन्दु क्रमांक 10) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**, प्रश्नांश की **जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)** उत्तर प्रश्नांश 'ग' अनुसार। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं, संयंत्रवार घाटे की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। यह घाटा पोषण आहार तैयार करने में लगने वाली कच्ची सामग्री की दरों में वृद्धि होने तथा महिला एवं बाल विकास द्वारा तैयार पोषण आहार की क्रय दरों (भारत सरकार द्वारा निर्धारित) वर्ष 2018 से वृद्धि नहीं होने के कारण हुआ है। जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं, प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' के बिन्दु क्रमांक 10 अनुसार** है। महिला एवं बाल विकास विभाग से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** जी नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

अजीविका मिशन द्वारा समूहों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

51. अता.प्र.सं.99 (क्र. 1861) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा अजीविका मिशन के माध्यम से किस अभिप्राय से किस नियम से स्व सहायता समूह की अशासकीय सदस्यों को पर्यावरण सखी बनाकर कितनी स्कूटी, कुल कितनी राशि की, किस दिनांक को प्रदान की गई स्कूटी किसको दी जाय इसका चयन किस तरह किया गया? उनका नाम, पता, गांव का नाम, उम्र, शिक्षा सहित सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार स्कूटी पाने वाली

अशासकीय महिला के क्या मापदण्ड थे उन्हें प्रशिक्षण किस दिनांक से किस दिनांक तक किस शहर में किस संस्था द्वारा करवाया गया तथा संस्था को इस हेतु कितना भुगतान किया गया स्कूटी की खरीदी तथा प्रशिक्षण खर्च का भुगतान किस वित्तीय मद से किया गया। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार जिन्हें स्कूटी दी गई उनकी कार्य आवंस तथा उनकी मॉनीटरिंग कौन करेगा तथा पेट्रोल एवं रख-रखाव तथा दैनिक भत्ता किस दर से कौन वहन करेगा इस मद में अभी तक हुये कुल खर्च की 15 जनवरी, 2024 अनुसार माह अनुसार जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) में खरीदी गई स्कूटी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है तथा आचार संहिता लगने पर उन स्कूटी को कहां-कहां वापस लिया गया इस संदर्भ में समस्त पत्राचार निर्देश की प्रति देवें। **(ड.)** 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में सारी स्कूटी किस-किस के पास है उनका नाम, पता, गांव सहित सूची देवें।

पंचायत मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के पैरा क्रमांक-1 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 की कण्डिका क्रमांक-4 अनुसार है एवं शेष प्रश्नांश की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 की कण्डिका क्रमांक-4 अनुसार है। जानकारी संकलित की जा रही है।** शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 की कण्डिका क्रमांक-3, 6 एवं 16 अनुसार तथा परिशिष्ट- 4 की कण्डिका क्रमांक- 9 अनुसार है।** शेष प्रश्नांश संबंधी **जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के पैरा क्रमांक 1 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 की कण्डिका क्रमांक 4 अनुसार** है एवं शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 की कण्डिका क्रमांक 4 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 4 अनुसार** है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 5 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 की कण्डिका क्रमांक 3, 6, एवं 16 अनुसार** तथा **परिशिष्ट 6 की कण्डिका क्रमांक 9 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 7 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 8 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 9 अनुसार** है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 10 अनुसार** है।

अनियमितता पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

52. अता.प्र.सं.107 (क्र. 1887) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 02 वर्षों में खरगोन जिले के ग्राम डाबरिया, पंचायत राजपुरा की कॉलोनी गोकुल संबंधित कितनी शिकायत (सी.एम. हेल्पलाइन/जनसुनवाई। वरिष्ठ कार्यालय से) किसी भी माध्यम से सक्षम अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुई है? उन शिकायतों पर हुए पत्राचार की छायाप्रति देवें। **(ख)** ग्राम डाबरिया, पंचायत राजपुरा जिला खरगोन की कॉलोनी गोकुल के भूस्वामी/विकासकर्ता को जारी सभी कॉलोनी विकास अनुमति, कॉलोनी विकास पूर्णता तथा प्लाट बेचने की अनुमति वाले

प्रकरण के दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न नोटशीट सहित देवें। **(ग)** बिना ओव्हरहेड पानी टंकी, बिना रेरा पंजीयन तथा बिना प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की N.O.C. लिए उक्त कॉलोनी को विकास पूर्णता देने का कारण बतावें। **(घ)** प्रश्नांश "ग" अनुसार इसके जिम्मेदारों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग इन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** विगत 02 वर्षों में ग्राम डाबरिया ग्राम पंचायत राजपुरा की कॉलोनी गोकुल से संबंधित कुल 19 शिकायतें एवं 02 सी.एम. हेल्पलाईन शिकायतें एक ही व्यक्ति श्री वारिस खान से प्राप्त हुयी हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(घ)** किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी न पाये जाने के कारण कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गृह निर्माण समिति की जानकारी

[सहकारिता]

53. परि.अता.प्र.सं. 76 (क्र. 1894) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला रतलाम, उज्जैन में पंजीकृत गृह निर्माण समितियों के नाम, पते, पंजीयन नंबर एवं उक्त गृह निर्माण समितियों के नाम पर राजस्व रिकार्डों पर दर्ज भूमि की एवं वर्तमान में कार्यरत संचालक मण्डल की जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों में स्थित गृह निर्माण समितियां जिन्हें नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत धारा 20 की छूट दी गई है, उक्त गृह निर्माण समितियों के नाम एवं धारा 20 की छूट संबंधी आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गृह निर्माण समितियों में से जिन गृह निर्माण समितियों के विरूद्ध कोई भी जांच प्रचलित है, उक्त समस्त जांच प्रचलित गृह निर्माण समितियों के नाम, जांच प्रकरण, क्रमांक सहित संपूर्ण सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 15.01.2024 को मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर गृह निर्माण समितियों की जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता को उक्त चाही गई जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी एवं इसी प्रकार प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को जिला भोपाल की 372 गृह निर्माण समितियों में 10 हजार करोड़ रूपये के भूमि घोटाले की जांच हेतु दिनांक 15.01.2024 को पत्र लिखा गया था, उक्त पत्र पर विभाग द्वारा क्या जांच कार्यवाही की गई? बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [(क) रतलाम जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01** एवं उज्जैन जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02, 03 एवं 04 अनुसार है। (ख)** रतलाम जिले की **जानकारी एकत्रित की जा रही है** एवं उज्जैन जिले से संबंधित संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। (ग)** रतलाम एवं उज्जैन जिले में प्रचलित शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 एवं 07 अनुसार है। (घ)** प्रश्नांश में उल्लेखित प्रथम पत्र दिनांक 15.01.2024 द्वारा नहीं, अपितु पत्र दिनांक 12-01-2024 से जानकारी चाही गई है। वांछित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला

कार्यालय को निर्देशित किया गया है, जानकारी का स्वरूप अत्यंत विस्तीर्ण होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नांश में उल्लेखित द्वितीय पत्र दिनांक 15.01.2024 नहीं अपितु पत्र दिनांक 12.01.2024 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। **] (ख)** रतलाम जिले से संबंधित जानकारी निरंक है एवं उज्जैन जिले से संबंधित संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है।**

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के कार्यों के दायित्व व निगरानी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

54. अता.प्र.सं.115 (क्र. 1914) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित एवं जिला पंचायत उज्जैन के क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत विभागों का कार्यालय मैन्युअल एवं विभागीय कार्य प्रणाली पध्दति और निरीक्षण रोस्टर क्या है? त्रिस्तरीय पंचायतों की शक्तियों व कर्तव्य क्या है। त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे गये विषयों से संबंधित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय विभाग प्रमुखों के जॉब चार्ट की प्रति देते हुए बताएं कि जिला स्तरीय विभाग प्रमुखों द्वारा निरीक्षण रोस्टर अनुसार किन-किन कार्यालयों के निरीक्षण वर्ष 2023-24 में कब-कब किए गए? निरीक्षण के दौरान कितने अधिकारी दोषी पाए गए। दोषी पाए गए अधिकारियों पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? तत्संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन व अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध करावें। **(ख)** त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों से संबंधित विभागों में वर्ष 2023-24 में उज्जैन जिले में कौन-कौन से कार्यों के लिए अनुमोदन स्वीकृति उज्जैन के वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। **(ग)** जिला उज्जैन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत एवं 29 विभागों की बैठक विगत तीन वर्षों में कितनी बार आयोजित की बैठक का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई की प्रति उपलब्ध करावें? जिला उज्जैन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 29 विभागों के विभाग प्रमुखों के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से कार्यों के लिए किन-किन मदों में किन-किन एजेंसी को भुगतान हेतु अनुमोदन एवं चेक पर संयुक्त हस्ताक्षर किए गए। संबंधित वित्तीय विवरण का संकलित अभिलेख प्रस्तुत करें।

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

रोजगार कार्यालय का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

55. परि.अता.प्र.सं. 82 (क्र. 1960) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दिनांक

31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कितने नौजवान बेरोजगार पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांकित जिलों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? **(ग)** क्या सरकार ने प्रश्नांकित जिलों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या है? **(घ)** क्या प्रदेश शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में रोजगार कार्यालयों का पंजीयन अनिवार्य नहीं है? क्या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उक्त पंजीयन अनिवार्य है? यदि हाँ, तो इस विसंगति को दूर करने का कोई प्रयास किया जायेगा? **(ड.)** वर्तमान में प्रदेश के कितने जिलों में रोजगार कार्यालय संचालित हो रहे हैं व कितने जिलों में उक्त कार्यालयों का संचालन बंद कर दिया गया है?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [(क) 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर 3313463 आवेदक पंजीकृत हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** प्रश्नावधि में 309704 आवेदकों को निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा ऑफर लेटर प्रदान किये गये। **(ग)** बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये जॉब फेयर योजना संचालित है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना संचालित की जा रही हैं। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.)** वर्तमान में प्रदेश के 51 जिलों में रोज़गार कार्यालय संचालित हैं। किसी भी जिले में संचालन बंद नहीं किया हैं। **]** **(घ)** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सभी पदों के लिये अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य हैं। जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 16 फरवरी, 2024</u>

कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

56. अता.प्र.सं.10 (क्र. 772) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले सहित एवं खरगापुर विधान सभा-47 में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने अतिकुपोषित और कितने साधारण कुपोषित बच्चे है? सम्पूर्ण जानकारी नामवार एवं ग्रामवार उपलब्ध करायें? **(ख)** वर्ष 2022 में खरगापुर विधान सभा में अतिकुपोषित और साधारण कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी थी? जिसमें विगत एक वर्ष में अतिकुपोषित एवं साधारण कुपोषित बच्चो की संख्या में कितनी कमी या बढ़ोत्तरी हुई? **(ग)** अति कुपोषित एवं साधारण कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिये शासन द्वारा कौन-कौन से विशेष उपाय किये गये हैं? **(घ)** कुपोषण से ग्रसित बच्चों को खाने-पीने हेतु कौन से पोषण-आहार, आंगनवाड़ियों पर दिये जाते हैं? क्या उस आहार के खान-पान में कुपोषण में सुधार आता है? उन स्वस्थ बच्चों की सूची खरगापुर विधान सभा की 2023 की उपलब्ध करायें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [(क) टीकमगढ़ जिले सहित खरगापुर विधानसभा-47 में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक अतिकुपोषित और साधारण कुपोषित बच्चों नामवार एवं ग्रामवार चाही गई जानकारी अति विस्तृत स्वरूप की है, जो आंगनवाड़ी केन्द्रों से **एकत्रित की जा रही** है। जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में, वर्ष 2022-23 में अति गंभीर कुपोषित श्रेणी के 613 बच्चे एवं मध्यम गंभीर कुपोषित श्रेणी के 1704 बच्चे दर्ज थे। वर्ष 2023-24 में कुपोषण में कमी उपरान्त वर्तमान में अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में 262 बच्चे एवं मध्यम गंभीर कुपोषित श्रेणी में 652 बच्चे दर्ज पाए गए हैं। इस प्रकार विगत एक वर्ष में अति गंभीर कुपोषित श्रेणी के बच्चों की संख्या में 351 तथा मध्यम गंभीर कुपोषित श्रेणी के बच्चों की संख्या में 1052 की कमी आई है। **(ग)** प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराया जाकर पोषण प्रबंधन किया जाता है तथा गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को समुदाय स्तर पर आवश्यक दवायें एवं पोषण के माध्यम से कुपोषण निवारण हेतु प्रबंधन किया जाता है। कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण हेतु नियमित मासिक वृद्धि निगरानी एवं गृह भेंट के माध्यम पोषण शिक्षा दी जा रही है। **(घ)** कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को खाने-पीने हेतु शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार पोषण आहार (थर्ड मील, ताजा पका हुआ नाश्ता एवं भोजन) तथा टेक होम राशन आंगनवाड़ी केन्द्र पर दिया जाता है। कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट के दौरान कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल एवं समझाईश दी जाती है। जी हाँ। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023 में 685 बच्चे कुपोषण से स्वथ्य हुए हैं। स्वस्थ्य हुये बच्चों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **] (क)** टीकमगढ़ जिले सहित खरगापुर विधानसभा-47 में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक 5994 अतिकुपोषित और 14067 साधारण कुपोषित बच्चे हैं। नामवार एवं ग्रामवार चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (1) एवं (2) अनुसार** है।

सोलिएसिस फण्ड के तहत सहायता

[गृह]

57. ता.प्र.सं. 10 (क्र. 1489) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक कितने प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा राहत राशि प्रदाय करने की सिफारिश भेजी गई? वर्षवार मृतक तथा पीड़ित व्यक्तियों के नाम पते सहित जानकारी दी जावे। **(ख)** प्रकरण किन-किन दिनांक को प्राप्त हुए एवं उनका निराकरण कितने दिनों में हुआ? कितने प्रकरण अस्वीकृत हुये? विवरण सहित जानकारी दी जावे। **(ग)** भजन सिंह पुत्र चन्दन सिंह निवासी उरवाई गेट ग्वालियर व सुखदेव सिंह एवं श्रीमती राजेन्द्र कौर के अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने से सोलिएसिस फण्ड के अंतर्गत राहत राशि दी गई? यदि नहीं, तो कारण बतायें।

मुख्यमंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जनवरी 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 61 प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा राहत राशि प्रदाय करने की सिफारिश प्राप्त हुई है। प्रकरणों में वर्षवार मृतक तथा पीड़ित व्यक्तियों के नाम पते

सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया है। निराकृत प्रकरणों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में समाहित** है। **(ग)** पीड़ित भजन सिंह पुत्र चंदन सिंह, सुखदेव सिंह पत्नी श्रीमती राजेन्द्र कौर के प्रकरण में राशि प्रति प्रकरण 12500/- स्वीकृत कर भुगतान हेतु न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी ग्वालियर की ओर भेजे जा चुके हैं। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।**

विकास यात्राओं की मांगों की पूर्ति एवं जनसुनवाई का आयोजन

[सामान्य प्रशासन]

58. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 1790) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माह-फरवरी 2023 में विधानसभा क्षेत्रवार आयोजित विकास यात्राओं के आयोजन के संबंध में शासन/विभाग के क्या निर्देश थे और निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही किन-किन शासकीय विभागों द्वारा किस प्रकार की जानी थी? **(ख)** प्रश्नांश "क" कटनी जिले में विकास यात्राओं का किस प्रकार एवं कब-कब आयोजन किया गया? नागरिकों द्वारा निर्माण/विकास की क्या-क्या मांग की गई और प्रश्न दिनांक तक किन-किन मांगों की पूर्ति की गई? शेष मांगों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही किस स्तर पर कब से प्रचलित है? शेष रही मांगों की पूर्ति किस प्रकार एवं कब तक की जायेगी? जनपद पंचायतवार, नगरीय निकायवार एवं यात्रावार बतायें। **(ग)** बड़वारा विधानसभा-क्षेत्र अंतर्गत मप्र शासन के किन-किन विभागों के कौन-कौन से कार्यालय कहाँ-कहाँ स्थापित और संचालित हैं, इन कार्यालयों में किस नाम/पदनाम के कौन-कौन शासकीय सेवक विगत 03 वर्षों से कार्यरत/पदस्थ हैं? **(घ)** जनसुनवाई का आयोजन किस स्तर पर एवं किस प्रकार किए जाने के शासनादेश हैं और क्या आदेश/निर्देशानुसार प्रश्नांश (ग) सभी शासकीय कार्यालयों में जनसुनवाई का आयोजन किया गया? हाँ, तो विगत 01 वर्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम का किन-किन शासकीय सेवकों की उपस्थिती में कार्यालयवार कब-कब आयोजन किया गया? विवरण बतायें। नहीं तो क्यों? **(ड.)** क्या प्रश्नांश (ख) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों की मांगों की पूर्ति न करने और प्रत्येक शासकीय कार्यालय स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन न करने का संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी? हाँ, तो क्या एवं किस प्रकार और कब तक? नहीं तो क्यों? कारण बतायें।

मुख्यमंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** विभागाध्यक्ष से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय के कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करने के शासन आदेश है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ख)** कटनी जिले में विकास यात्राओं के आयोजन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग)** बड़वारा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न संचालित विभागों में तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ शासकीय सेवकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ)** म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 11-29/2009/1/9 भोपाल दिनांक 30/06/2009 की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।** उक्त आदेश/निर्देशानुसार प्रश्नांश 'ग' सभी शासकीय कार्यालयों

प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से जनसुनवाई आयोजित की जाती है। (निर्वाचन अवधि में आदर्श आचार संहिता अवधि को छोड़कर) प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। **(ड.)**उत्तरांश (ख) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अवैध अनाथ आश्रम/बाल आश्रम/सेल्टर होम की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

59. अता.प्र.सं.37 (क्र. 1820) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर चम्बल संभाग में कितने अनाथ आश्रम/बाल आश्रम/सेल्टर होम पंजीकृत है? जनवरी 2020 से दिसम्बर 2023 की स्थिति में आश्रम/शेल्टर होम की नामवार/जिलेवार जानकारी दी जावे। **(ख)** इन पंजीकृत आश्रमों का निरीक्षण किस-किस अधिकारी (नाम/पदनाम) द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई जाने पर इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** पंजीकृत आश्रमों के अतिरिक्त क्या अवैध रूप से आश्रम संचालित है? इन्दौर में विजय नगर में वात्सल्यपुरम बाल आश्रम अवैध रूप से संचालित पाये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा सील किया गया है? इसके लिये किस विभाग के अधिकारी उत्तरदायी है, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे? **(घ)** पंजीकृत आश्रमों को क्या शासन से अनुदान दिया जाता है, यदि हाँ तो आवंटित राशि एवं ऑडिट में अनियमितता पाई जाने पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [(क) ग्वालियर चम्बल संभाग में 15 बाल देखरेख संस्थाएं पंजीकृत है, जिसके अंतर्गत ग्वालियर जिले में एक ओपन शेल्टर होम भी पंजीकृत है। जनवरी 2020 से दिसम्बर 2023 की स्थिति में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'1' पर** है। **(ख)** निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' पर** है। महात्मा शिक्षा प्रसार समिति बालगृह मुरैना में अनियमितता पाये जाने पर संस्था को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ग)** जी नहीं। जी हाँ। संस्था अवैध रूप से संचालित थी, अत: कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** मिशन वात्सल्य योजनातंर्गत किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। अपंजीकृत संस्था को अनुदान नहीं दिया जाता है। आवंटित राशि एवं ऑडिट में अनियमितता नहीं पाई गई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थाई कर्मियों को विनियमित किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

60. अता.प्र.सं.51 (क्र. 1971) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्य प्रदेश शासन प्रशासन वित्त मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07/अक्टू/2016 के अनुसार कार्यरत दै.वे.भो. श्रमिक स्थाई कर्मियों को निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में 16 मई 2007 को कार्यरत व 01 सितम्बर 2016 को भी कार्यरत हैं, को विनियमित

करने म.प्र. शासन ने कल्याणकारी योजना बनाई थी। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत कितने दै.वे.भो. को स्थाईकर्मी की श्रेणी का लाभ दिया जा रहा है श्रेणीवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार अन्य विभाग जन अभियान परिषद, बरगी परियोजना, शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत दै.वे.भो. को क्या इस योजना का लाभ दिया जा रहा? **(घ)** प्रश्नांश (क) के अनुसार शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कितने दै.वे.भो. शेष रह गये हैं इनको स्थाईकर्मी की श्रेणी का लाभ कब तक दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) जी हाँ। **(ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ख)** समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत तृतीय श्रेणी में 25 एवं चतुर्थ श्रेणी में 80 दैनिक वेतनभोगी कार्यचारी कार्यरत हैं। इनको स्थायी कर्मी की श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये परियोजना में कार्यरत हैं। परियोजना के पद अस्थायी स्वरूप के होते हैं तथा परियोजना अवधि तक के लिए होते हैं। परियोजना समाप्त होते ही यह पद स्वत: ही समाप्त हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में इनको स्थायी कर्मी की श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा सकता है। **(ग)** जन अभियान परिषद में दैनिक वेतनभोगी को ''स्थाईकर्मी'' की श्रेणी का लाभ दिया जा रहा है। बरगी परियोजना के कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना का लाभ दिया जा रहा है। शेषांश प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश उत्तर ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तहसील नारायणगंज में प्रथम श्रेणी के न्यायालय की स्वीकृति

[विधि एवं विधायी कार्य]

61. परि.अता.प्र.सं. 61 (क्र. 1972) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित–क्रमों 646 भोपाल, शुक्रवार दिनांक 23 दिसम्बर 2022, पंजी क्र. 4384/2022/21-ब (एक) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा की उप-धारा के तहत मण्डला जिले के तहसील नारायणगंज में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो न्यायालय संचालन हेतु भवन चयन कर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने बावजूद न्यायालय का संचालन किस कारण से नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है? कारण स्पष्ट करें। **(ग)** न्यायालय कब तक प्रारंभ किया जावेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** नारायणगंज जिला मण्डला में व्यवहार न्यायालय के संचालन हेतु तात्कालिक व्यवस्था के लिए नारायणगंज स्थित ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को आवंटित किये जाने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला द्वारा कलेक्टर जिला मण्डला को लिखा गया है, कलेक्टर से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। **(ग)** निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "आठ"

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये स्थाई कर्मियों को विनियमित करना

[सामान्य प्रशासन]

62. ता.प्र.सं. 7 (क्र. 2023) श्री महेन्द्र नागेश : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र.शा. सामा.प्रशा.वि.मंत्रा. भोपाल के पत्र क्र एफ 5-1/2013/1/3, भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के अनुसार कार्यरत दै.वे.भो. श्रमिक "स्थाई कर्मियों" को निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, को विनियमित करने म.प्र.शासन ने कल्याणकारी योजना बनाई थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रदेश के सभी विभागों में कितने दै.वे.भो. को "स्थाई कर्मी" की श्रेणी का लाभ दिया जा रहा है? विभागवार श्रेणीवार जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार अन्य विभाग जन अभियान परिषद, बरगी परियोजना, शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत दै.वे. भो. को क्या, इस योजना का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) के अनुसार शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कितने दै.वे.भो. शेष रह गए हैं, इनको "स्थाई कर्मी "की श्रेणी का लाभ कब तक दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) जी हाँ। **(ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ख)** शासन के विभिन्न 27 विभागों से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जन अभियान परिषद में दैनिक वेतन भोगी को ''स्थाई कर्मी'' की श्रेणी का लाभ दिया जा रहा है। बरगी परियोजना के कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ''स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना का लाभ दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत तृतीय श्रेणी में 25 एवं चतुर्थ श्रेणी में 80 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनकों स्थायी कर्मी की श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये परियोजना में कार्यरत हैं। परियोजना के पद अस्थायी स्वरूप के होते हैं तथा परियोजना अवधि तक के लिए होते हैं। परियोजना समाप्त होते ही यह पद स्वत: ही समाप्त हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में इनको स्थायी कर्मी की श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा सकता है। **(घ)** उत्तरांश ''ग'' में वर्णित अनुसार। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "नौ"</u>

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अंतर्गत प्रस्तावित योजनाएं

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

63. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 2060) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला रतलाम के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी विभागीय योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं एवं कौन-कौन सी योजनाएं पूर्व से ही स्वीकृत हैं? उक्त योजनाओं के नाम एवं उक्त योजनाओं में शामिल भूमि का विवरण, गांव का नाम, खसरा क्रमांक, प्रभावित व्यक्तियों के नाम, पते सहित संपूर्ण सूची पृथक-पृथक जिलेवार उपलब्ध करावें एवं इसके अतिरिक्त विगत पांच वर्षों में विभिन्न निजी उद्योगों हेतु उक्त जिलों में आवंटित भूमि की जानकारी, उद्योग का नाम, प्रभावित व्यक्तियों को विभाग द्वारा उनके भूमि के

बदले उपलब्ध कराई गई राशि एवं अन्य सहायता की जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में विभाग द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृत योजनाओं हेतु जो संबंधित ग्रामसभा अथवा आदिवासी मंत्रणा परिषद् की कमेटी से जो स्वीकृतियां प्राप्त की गई हैं उसकी संपूर्ण छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या जिला रतलाम में निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना के अंतर्गत लगभग दो हजार हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो उक्त योजना की बनाई गई संपूर्ण योजना की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं उक्त योजना में कुल कितने किसानों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है एवं शासकीय भूमि पर वर्षों से काबिज किसानों को मुआवजा दिए जाने की क्या योजना प्रस्तावित की गई है एवं उन्हें किस दर पर कितना-कितना मुआवजा दे दिया गया है या दिया जाना शेष है? संपूर्ण किसानवार/हितग्राहीवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से उक्त योजना हेतु प्राप्त बजट एवं राशि की जानकारी भी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या जिला रतलाम में निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना के विरोध में लगातार जयस के कार्यकर्ता एवं अन्य राजनैतिक पदाधिकारी विगत तीन वर्षों से जन-आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना को निरस्त करने की घोषणा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री : [(क) जिला रतलाम में विभाग के अंतर्गत वर्तमान में अधोसंरचना विकास की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। जिला रतलाम के अंतर्गत अधोसंरचना विकास की पूर्व से 04 योजना स्वीकृत है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।** प्रभावित व्यक्तियों के नाम एवं पते की **जानकारी संकलित की जा रही है।** विगत पांच वर्षों में 99 विभिन्न उद्योगों हेतु जिला रतलाम में आवंटित भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।** इन उद्योगों हेतु आवंटित भूमि से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण संकलित की जा रही है। **(ग)** जी नहीं, अपितु जिला रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम (फेस-1) अंतर्गत 1466.68 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु योजना स्वीकृत है। अधोसंरचना विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।** उक्त योजना में किसी भी किसान की निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। शासकीय भूमि पर काबिज किसान को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम (फेस-1) प्रदेश की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होना अवश्यंभावी है, उक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने से स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलने से उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। **] (क)** विभाग के अंतर्गत जिला रतलाम में वर्तमान में औद्योगिक अधोसंरचना विकास की कोई नवीन योजना प्रस्तावित नहीं है। पूर्व से 04 योजना स्वीकृत है, जिसका विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है, जिसके अनुसार समस्त परियोजनाओं की भूमि शासकीय है। विगत पांच वर्षों में 99 विभिन्न उद्योगों हेतु जिला रतलाम में आवंटित भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। इन उद्योगों हेतु आवंटित भूमि से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** निवेश क्षेत्र रतलाम, नमकीन क्लस्टर करमदी औद्योगिक पार्क रतलाम (अल्कोहल प्लांट) रतलाम विकास खण्ड एवं शुगर मिल जावरा, जावरा विकास खण्ड अंतर्गत होने से

यहां पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 लागू नहीं होता है। अत: संबंधित ग्राम सभा अथवा आदिवासी मंत्रणा, परिषद की कमेटी से स्वीकृतियां प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

64. अता.प्र.सं.100 (क्र. 2158) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल संभाग के विभिन्न शासकीय विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित है? कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बतावें? प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरणों का निराकरण हो गया है और कितने प्रकरण लंबित हैं? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विभिन्न विभागों से किस-किस दिनांक को क्या-क्या निर्देश/परिपत्र जारी किए गए तथा जारी किए गए निर्देश/परिपत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई? बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कितने समय में किए जाने का नियम है? अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को हल करने में तेजी लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किया जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री : [(क) एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 13.6 में समयावधि नियत की गई है तथा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक-अनुसार** है। **(ख)** दिनांक 29.09.2014, दिनांक 31.08.2016, दिनांक 05.01.2019, दिनांक 18.11.2019, दिनांक 29.10.2020, दिनांक 01.02.2021, दिनांक 01.02.2023, दिनांक 27.03.2023 एवं दिनांक 19.06.2023 को जारी किए गए दिशा-निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[सामान्य प्रशासन]

65. परि.अता.प्र.सं. 97 (क्र. 2163) श्री अमर सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले में कलेक्टर एवं कार्यालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? **(ख)** उक्त स्वीकृत पदों में आज दिनांक तक कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? **(ग)** उक्त रिक्त पदों की पूर्ति के लिये क्या शासन द्वारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है? **(घ)** यदि हाँ, तो उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी बतावें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "दस"</u>

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

66. अता.प्र.सं.122 (क्र. 2219) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक तक भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के विभिन्न विभागों के अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित है? कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बतावें। अनुकंपा नियुक्ति संबंधी कुल कितनी शिकायतें किस-किस विभाग की लंबित है? कितनों का निराकरण हो गया है? जिलावार जानकारी दें। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर दिनांक 01 जनवरी, 2017 के पश्चात कब-कब, क्या-क्या निर्देश विभिन्न विभागों को जारी किये गये? प्रतिलिपि देवें। **(ग)** भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वर्तमान में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित है? **(घ)** अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में अत्यधिक समय लगने का क्या कारण है? समय-सीमा में निराकरण करने हेतु विभाग क्या प्रयास कर रहा है?

मुख्यमंत्री : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 13.6 में निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है। प्रकरणों को निराकरण करने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। **] (क)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 19 फरवरी, 2024

पुराना कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भवन तथा भूमि का आवंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

67. अता.प्र.सं.105 (क्र. 2126) श्री राजन मण्डलोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सचिव जिला रेडक्रास समिति, बड़वानी द्वारा अनुबंधित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र के संचालन हेतु किया गया दुकान का आवंटन नियमानुसार किया गया हैं? दुकान आवंटन के लिए की गई समस्त आवश्यक कार्यवाही मय नोटशीट सत्यापित छायाप्रति देवें। **(ख)** पुराना कलेक्ट्रेट परिसर दक्षिणी भाग की भूमि पर राजस्व निरिक्षक एवं पटवारी कार्यालय हेतु भवन का निर्माण किया गया था, वर्तमान में भवन किस उपयोग में, किस अधिकारी के निर्देश पर लाया जा रहा हैं, निर्देश की छायाप्रति देवें तथा इस हेतु किसी विभाग द्वारा भवन अन्य प्रयोजन के लिए मांगे जाने विषयक दस्तावेज की छायाप्रति भी उपलब्ध करवाये। **(ग)** जिला रेडक्रास समिति बड़वानी द्वारा अनुबंधित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र हेतु अनुबंधित भवन, जिला चिकित्सालय की डायलिसिस यूनिट तथा रैन बसेरा किस परिसर में स्थित है, परिसर के भूमि तथा भवन संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति दें। **(घ)** जिला कलेक्टर बड़वानी को दिनांक 22/12/2022 को प्राप्त अण्डर सेक्रेटरी, लोक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल के पत्र क्रमांक 824/PHFW-02821/2023/17/MEDI-3/1/127270 भोपाल के परिपालन में की गई कार्यवाही तथा विवरण की छायाप्रति देवें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]** **(क)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बड़वानी के द्वारा किराया निर्धारण कर दुकान का आंवटन किया गया था, दुकान आंवटन से संबंधित दस्तावेजों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बड़वानी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराना कलेक्ट्रेट परिषद दक्षिणी भाग की भूमि पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी कार्यालय हेतु भवन का निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, इस हेतु किसी विभाग द्वारा भवन अन्य प्रयोजन के लिए नही मांगा गया है। **(ग)** जिला अस्पताल परिसर में स्थित है, खसरा **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। शासन निर्णय अनुसार जिला चिकित्सालय परिसर में वर्तमान में जन औषधि केन्द्र संचालित नहीं किया जा रहा है। **(घ)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला बड़वानी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय बड़वानी परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंन्द्र संचालित करने की अनुमति प्रदान नही की गयी, आवेदक द्वारा राज्य शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर राज्य शासन द्वारा अपील का निराकरण करते हुये आवेदक की अपील को अमान्य किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।